भारत

के नए संविधान का प्रारूप

स्वतंत्रता
की
पचासवीं
वर्षगाँठ
पर राष्ट्र को
सादर सविनय
समर्पित

अनिल चावला

प्रकाशक
www.samarthbharat.com

विषय सूची

		पष्ठ
	प्रथम प्रकाशक की ओर से	२
	विशेष अनुरोध	२
	प्राक्कथन	३
	उद्देशिका	४
१	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	५
२	नागरिकता	५
३	मौलिक अधिकार	५
४	राज्य के नीति–निदेशक तत्व	१०
५	मौलिक कर्तव्य	१०
६	संघ	११
७	राज्य	२७
८	संघ शासित प्रदेश	३६
९	स्थानीय निकाय	३६
१०	वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद	३६
११	संघ एवं राज्यों के अंतर्गत सेवाएँ	४१
१२	न्यायाधिकरण, सैन्य न्यायालय, एवं स्थानीय निकाय न्यायालय	४२
१३	चुनाव	४३
१४	कुछ वर्गों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान	४४
१५	राजभाषा	४४
१६	आपातकालीन प्रावधान	४५
१७	विविध	४७

कॉपीराइट सर्वाधिकार पूर्णतः मुक्त

प्रथम प्रकाशक की ओर से

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक गैर–राजनैतिक छात्र संगठन है जो कि राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित है। श्री अनिल चावला सच्चे अर्थों में एक विद्यार्थी हैं। उन्होंने स्नातकीय शिक्षा पूर्ण करने के बाद, किसी औपचारिक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लिये बिना ही विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान को निरंतर विस्तारित किया है।

विद्यार्थी परिषद भारत के नये संविधान के इस प्रारूप को पक्ष अथवा विपक्ष संबंधी किसी भी प्रकार की टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत कर रहा है। **विद्यार्थी परिषद** का मानना है कि इस विषय पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। अपने स्वर्ण जयन्ती समारोह के सुअवसर पर इस तरह की बहस का प्रारंभ करते हुए **विद्यार्थी परिषद** को गर्व है।

विद्यार्थी परिषद उन सभी सहयोगियों का आभारी है जिन्होंने इस कार्य को संपन्न करने में सहायता प्रदान की। श्री कमल ग्रोवर का विशष रूप से आभार जिन्होंने इस प्रारूप के अँग्रेजी एवं हिन्दी में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

प्रसन्न शर्मा
सचिव,
स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मध्य भारत

विशेष अनुरोध

देश के संविधान जैसे महत्तवपूर्ण विषय को केवल राजनीतिज्ञों और वकीलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को तटस्थता छोड़कर गंभीरता से सोचना होगा।

मेरा आपसे सविनय अनुरोध है कि आप भारत के नए संविधान के प्रारूप को पढ़ें एवं अपने बहुमूल्य सुझावों तथा टिप्पणियों से मुझे अवगत कराने की कपा करें।

सम्पूर्ण परिवर्तन के महान राष्ट्रीय उद्देश्य में आप एक योगदान कर सकते हैं। कप्या इस संविधान की यथासंभव अधिकतम प्रतियाँ करवा कर विद्वतजनों को देने का कष्ट करें। प्रतियाँ करवाने के लिए किसी भी माध्यम का उपयोग किया जा सकता है – फोटोकापी, मुद्रण, इलेक्ट्रानिक संचारण, इत्यादि। किसी भी प्रति पर कोई रायल्टी या पारिश्रमिक देय नहीं होगा। सुधी पाठकों की टिप्पणियाँ, सुझाव, परामर्श तथा आलोचना प्राप्त कर जो संतोष मुझे मिलेगा, वह मेरे लिए पर्याप्त है।

अनिल चावला

© All Rights Free

प्राक्कथन

आज जब हम स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे करने जा रहे हैं तो यह अनुभव किया जा रहा है कि हमें अपनी शासन पद्धति के विषय में पुर्नविचार करने की आवश्यकता है। लगभग हमारे साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले कई अन्य देशों ने हम से बेहतर प्रगति की है।

हमारी कई बुराईयों के लिए राजनैतिक वर्ग और अफसरशाही को दोषी आरोपित किया जाता है। किंतु उनमें से अनेक, शायद अधिकतर, सर्वोच्च विचारों वाले लोग हैं तथा अपने आप को इस व्यवस्था के सामने विवश पाते हैं। वे परिवर्तन करना चाहते हैं किंतु क्या और कैसे बदला जाना है– यह नहीं जानते।

मुझे लगता है कि किसी पर भी आरोप लगाना निरर्थक है। हमें स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में पुर्नसंगठित करना चाहिए ताकि औपनिवेशकों द्वारा शताब्दियों तक की गयी लूटपाट के कुप्रभावों से हम मुक्त हो सकें। हमने जो शासन पद्धति अपनायी है वह कमोबेश औपनिवेशक शासकों की पद्धति है। हमारे राजनैतिक चिंतन में मूलभूत परिवर्तन या क्रांति की आवश्यकता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि देश की संसद, और यहाँ तक कि किसी भी संस्था, को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। संभवतः सर्वोच्च न्यायालय के मानस में यह विचार होगा कि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन के लिए हमें पुनः गुलाम बनना चाहिए ताकि नए औपनिवेशिक स्वामी एक नई संविधान सभा का गठन कर सकें। न तो मैं हँस सकता हूँ न ही रो सकता हूँ।

सम्पूर्ण विनम्रता एवं अहंकार रहित भाव से मैं संविधान के इस प्रारूप को राष्ट्र को सादर समर्पित कर रहा हूँ। मुझे आभास है कि इस देश में ऐसे विद्वान हैं जिनकी बराबरी करने का स्वप्न भी नहीं देख सकता; कि ऐसे संवैधानिक विशेषज्ञ हैं जो संविधान की बारीकियों को मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं; कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका मानस इस देश की संस्कति और इतिहास से मेरे मानस के मुकाबले अधिक अच्छे ढ़ग से जुड़ा है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि भारत की आने वाली पीढ़ियाँ अधिक विद्वान होंगी तथा उन्हें अपनी सांस्कतिक एवं ऐतिहासिक पहचान के संबंध में अधिक सशक्त चैतन्यभाव होगा। आज की पीढ़ी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संविधान निर्धारण का कोई हक अथवा अधिकार नहीं हैं।

मेरी स्वयं की सीमाओं का तथा साथ ही मेरी पीढ़ी की भविष्य की पीढ़ियों के संदर्भ में सीमाओं का बोध भारत के संविधान के इस प्रारूप का मूल दार्शनिक आधार है।

मैं इस संविधान को तर्क–वितर्क और चर्चा के लिए राष्ट्र को सादर समर्पित कर रहा हूँ। मुझे यह नहीं मालूम कि वर्तमान संविधान को त्याग कर भारत के नए संविधान को यह देश कैसे अपना पाएगा। किंतु मुझे इस देश की जनता में पूर्ण आस्था है और यह विश्वास है कि एक नए संविधान के लिए उन्हें पुनः गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है।

अनिल चावला

भारत का नया संविधान

प्रारुप

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

बाह्य एवं आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षा;

समद्धि;

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता;

प्रतिष्ठा और अवसर की समता;

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दढ़संकल्प होकर अपनी इस गुरु सभा में आज तारीख .... को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भाग १

संघ और उसका राज्य क्षेत्र

१.०१ **संघ का नाम और राज्यक्षेत्र.**– (१) भारत भारतीय नागरिकों का संघ होगा।

(२) भारत के राज्यक्षेत्र में निम्न समाविष्ट होंगें–

क) राज्यों के राज्यक्षेत्र;

ख) संघ शासित प्रदेशों के राज्यक्षेत्र; और

ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो रक्षा सभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित एवं राष्ट्रपति द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रस्ताव द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र घोषित किए जाएं।

(३) राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं उनके राज्यक्षेत्र, संसद के दोनों सदनों द्वारा समय–समय पर दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव(ओं) में उल्लेखानुसार होंगें।

भाग २

नागरिकता

२.०१ **संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता.**– इस संविधान के प्रारंभ पर वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो कि संविधान, १९५० के अनुसार नागरिक परिभाषित था।

२.०२ **नागरिकता.**- नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाये जाएंगें, जिनको संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकत किया जाना अपेक्षित होगा।

भाग ३

मौलिक अधिकार

३.०१ **परिभाषा.**- इस भाग में तथा भाग ४ एवं भाग ५ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ‘राज्य’ के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान–मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय प्राधिकारी हैं।

३.०२ **मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून.**- किसी भी ऐसे कानून, उन प्रतिबंधों के अतिरिक्त जिन्हें लगाने के लिए संसद इस भाग द्वारा प्राधिकत है, को जो कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को खत्म करता है अथवा कम करता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना आवश्यक होगा एवं पारित करते हुए यह उल्लेखित करना भी आवश्यक होगा कि संसद की मंशा इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करना है। यदि संसद अन्यथा निर्णय नहीं लेती है तो, कोई भी वर्तमान कानून जो कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को खत्म करता है अथवा कम करता है, इस संविधान की तारीख से तीन वर्षो तक प्रभावी रहेगा।

३.०३ **कानून के समक्ष समता.**- प्रत्येक भारतीय नागरिक कानून के समक्ष समान होगा।

३.०४ **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध.**- राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसीके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा एवं ऐसा विभेद न होने देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक कार्यवाही पर उपरोक्त प्रतिषेध लागू नहीं होगा।

३.०५ **लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता.**- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यह समता उन स्थितियों को छोड़कर होगी जो कि संसद द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए निर्धारित की जावें।

३.०६ **अस्पश्यता का अंत.**- 'अस्पश्यता' किसी भी रूप में निषिद्ध है एवं 'अस्पश्यता' का आचरण एक अपराध होगा जो विधिनुसार दंडनीय होगा।

३.०७ **वाक् स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण.**- (१) सभी नागरिकों को निम्न अधिकार होंगें–

(क) वाक्–स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति–स्वतंत्रता का;

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का;

(ग) संगम या संघ बनाने का;

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का;

(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का;

(च) संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व एवं बेचने का; एवं

(छ) काई वत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का।

(२) खंड (१) की कोई भी बात न तो किसी ऐसे वर्तमान कानून को प्रभावित करेगी और न ही राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने से रोकेगी जो कि उक्त खंड द्वारा दिए गये अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध–प्रेरण तथा लोक–हित से जुड़े किसी अन्य विषय के संबंध में युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता है।

३.०८ **अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण.-** (१) कोई नागरिक किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रुप में आरोपित है, किसी प्रवत्त कानून का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवत्त कानून के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।

(२) किसी नागरिक को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।

(३) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी नागरिक को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

३.०९ **प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण.-** किसी नागरिक को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़, वंचित नहीं किया जाएगा।

३.१० **कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और अवरोधन से संरक्षण.-** (१) ना तो किसी नागरिक को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में रोका रखा जाएगा और ना ही अपनी पसंद के विधिजीवी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा।

(२) प्रत्येक नागरिक को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में रोके रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से न्यायाधीश के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा तथा ऐसे किसी नागरिक को न्यायाधीश के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में रोका नहीं रखा जाएगा।

(३) किसी भी नागरिक को आरोपी अथवा विचाराधीन कैदी के रूप में अभिरक्षा में रोके रखे जाने की अधिकतम अवधि उसके दोषसिद्ध होने पर दी जा सकने वाली अधिकतम कारावास अवधि के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी।

३.११ **मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध.-** (१) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का निषेध किया जाता है एवं इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रायोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से नहीं रोकेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, अथवा वर्ग अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

३.१२ **राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग.-** प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने का अधिकार होगा किंतु समय–समय पर बनाये किसी ऐसे कानून द्वारा उक्त अधिकार का नियमन हो सकेगा जो कि ध्वज का सम्मानजनक प्रयोग सुनिश्चित करता हो।

३.१३ **कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध.-** चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा एवं ना ही किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में लगाया जाएगा।

३.१४ **अंतःकरण की एवं अबाध रूप से धर्म को मानने तथा धर्मानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता.-** (१) लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता का एवं अबाध रूप से धर्म को मानने तथा धर्मानुसार आचरण करने का समान अधिकार होगा।

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे वर्तमान कानून के परिचालन पर प्रभाव नहीं डालेगी एवं ना ही राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने जो कि–

(क) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी सामाजिक गतिविधि का विनियमन या प्रतिबंधन करता है;

(ख) सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए कोई प्रावधान करता है।

स्पष्टीकरण– कपाण धारण करना और लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा।

३.१५ **धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता.-** लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को अपनी गतिविधियॉ संचालित करने की स्वतंत्रता होगी बशर्ते कि उक्त गतिविधियों के माध्यम से समाज के अन्य वर्गो के सदस्यों के बीच धर्म के प्रचार का प्रयास नहीं किया जाता है। वे सभी कानून जो नागरिकों के सभी वर्गो पर लागू होते हैं, उक्त गतिविधियों पर भी लागू होंगे।

३.१६ **किसी विशिष्ट धर्म की अभिवद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता.-** किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी कर(रों) का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्टि धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विशिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।

३.१७ **कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता.**- (१) राज्य–निधि से स्थापित एवं पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

(२) राज्य से मान्यताप्राप्त या राज्य–निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी नागरिक को किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अथवा किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

३.१८ **भाषाओं, संस्कति आदि का संरक्षण.**- नागरिकों के किसी वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। संसद उक्त अधिकार को प्रतिबंधित कर सकेगी एवं उक्त अधिकार ऐसे प्रतिबंधों के अधीन होगा।

३.१६ **शिक्षण संस्थानों में प्रवेश.**- राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य–निधि से सहायता पाने वाली या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

३.२० **शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार.**- (१) समाज के सभी वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।

(२) राज्य किसी भी ऐसे शिक्षण संस्थान को सहायता नहीं देगा जो किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म या भाषा या सम्प्रदाय या समुदाय के आधार पर विभेद करती हो।

३.२१ **इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार.**- (१) प्रत्येक नागरिक को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार रहेगा।

(२) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी भी अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय या कोई भी अन्य न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकत हो, को ऐसे किसी भी प्रकार के निर्देशों या आदेशों या परमादेशों को जारी करने का अधिकार होगा।

३.२२ **इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग इत्यादि को सीमित करने का संसद का अधिकार.**- संसद, विधि द्वारा, यह निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में, निम्नलिखित के प्रयोग के संबंध में, किस विस्तार तक प्रतिबंधित अथवा रद्द किया जाए–

(क) सशस्त्र बलों के सदस्य; अथवा

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार जिन बलों पर हो उनके सदस्य; अथवा

(ग) राज्य के कर्मचारियों का कोई वर्ग अथवा श्रेणी।

३.२३ **इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान.**– इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद को यह अधिकार होगा एवं किसी भी राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार नहीं होगा कि ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गये हैं, दंड निर्धारित कर सके।

भाग ४

राज्य के नीति-निदेशक तत्व

४.०१ **नीति.**– राज्य के नीति–निदेशक तत्वों का निर्धारण समय–समय पर गुरु सभा द्वारा किया जाएगा एवं वे राज्य के सभी अंगों पर बन्धनकारी होंगें।

भाग ५

मौलिक कर्तव्य

५.०१ **मौलिक कर्तव्य.**-भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे;

(ख) राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गान एवं संसद द्वारा घोषित अन्य प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतीक का आदर करे;

(ग) किसी भी ऐसे कार्य से परहेज करे जिससे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता पर आँच आ सकती हो;

(घ) ऐसे प्रत्येक चुनाव में मतदान करे जिसमें उसकी मतदान करने की पात्रता हो;

(ङ) आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करे;

(च) राज्य की संपत्ति की सुरक्षा करे

५.०२ **उपाधियाँ.**- (१) कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति, जो राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास के किसी पद पर हो, राष्ट्रपति की सहमति के बिना, किसी भी विदेशी राज्य से कोई भेंट, पारिश्रमिक, उपाधि अथवा पद ग्रहण नहीं करेगा।

५.०३ **दण्ड.-** इस भाग में आदेशित कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करना एक गंभीर अपराध होगा जिसके लिए दंड का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा एवं इस प्रकार के अपराध के दोषसिद्ध व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने से अथवा निवार्चित प्रतिनिधि के रूप में कोई पद धारण करने से अथवा राज्य–निधि द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित किसी भी संस्था में कोई पद धारण करने से रोका जा सकेगा।

भाग ६

संघ

अध्याय १ संस्थाएँ – शक्तियाँ और दायित्व

६.०१ **संरचना.-** भारत–संघ में निम्नलिखित संस्थाएं होंगीः

(क) राष्ट्रपति

(ख) उपराष्ट्रपति

(ग) गुरु सभा

(घ) लोक सभा

(ङ) रक्षा सभा

(च) न्यायपालिका

(छ) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

(ज) महाधिवक्ता

(झ) निर्वाचन आयोग

६.०२ **संसद.-** राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गुरु सभा एवं लोक सभा को मिलाकर संसद बनेगी।

६.०३ **संघ की कार्यपालिका शक्ति.-** (१) संघ की कार्यपालिका शक्ति लोक सभा में निहित होगी और यह शक्ति इस संविधान के अंर्तगत बने कानूनों एवं नीतियों के अधीन होगी। कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग की अभिव्यक्ति 'भारत सरकार' के नाम से की जाएगी।

(२) लोक सभा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रीपरिषद् के माध्यम से करेगी। मंत्रीपरिषद् का नेतत्व प्रधानमंत्री करेगा।

(३) लोक सभा किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, मंत्रीपरिषद् के एक सदस्य के नियंत्रण में रखते हुए, कोई भी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी।

६.०४ **संघ की विधायी शक्ति.**– संघ की विधायी शक्ति संसद् में निहित होगी।

६.०५ **संघ की सुरक्षा.**- आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से देश की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक तथा संस्था का कर्तव्य और दायित्व होगा। विशेष रूप से रक्षा सभा देश की सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों के लिए स्वयं को समर्पित करेगी तथा इस संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देगी जो कि संसद् एवं राष्ट्र को सूचित करेगा।

६.०६ **संघ की निधि.**- नियंत्रक–महालेखापरीक्षक संघ की निधि का न्यासी होगा एवं यह उसका दायित्व होगा कि वह ऐसे हर कत्य अथवा कार्यप्रणाली का विवरण उपराष्ट्रपति को दे जिससे निधि के समुचित उपयोग के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

६.०७ **न्याय.**- उच्च न्यायालयों का प्रशासन तथा भाग ३ में प्रदत्त नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा उच्चतम न्यायालय का दायित्व होगा। उच्चतम न्यायालय पुनरावेदन का अन्तिम न्यायालय होगा।

६.०८ **राष्ट्रपति.**- (१) संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा एवं वह इस का निर्वहन संसद द्वारा बनाए कानून, गुरु सभा द्वारा बनाई नीतियाँ, नियम तथा कार्यप्रणाली और रक्षा सभा के परामर्श के अधीन करेगा।

(२) राष्ट्रपति लोकसभा तथा गुरु सभा का पदेन सदस्य होगा एवं वह उक्त सभाओं की सभी बैठकों में उपस्थित रह सकेगा और चर्चा में भाग ले सकेगा तथा सभी विषयों पर मतदान कर सकेगा।

(३) राष्ट्रपति रक्षा सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और वह रक्षा सभा का सदस्य माना जाएगा।

(४) जिन अवसरों पर ऐसा आवश्यक हो राष्ट्रपति आनुष्ठानिक रूप से 'राज्य प्रमुख' होगा।

(५) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी भी विषय पर राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा एवं गुरु सभा को दी गयी कोई भी सलाह बंधनकारी होगी।

६.०६ **उपराष्ट्रपति.**- (१) राष्ट्रपति की मत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से राष्ट्रपति पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस दिनांक तक राष्ट्रपति के रुप में कार्य करेगा जिस दिन नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है।

(२) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस दिनांक तक उसके कत्यों का निर्वहन करेगा जिस दिन राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पुनः संभालता है।

(३) उपराष्ट्रपति लोकसभा तथा रक्षा सभा का पदेन सदस्य होगा एवं वह उक्त सभाओं की सभी बैठकों में उपस्थित रह सकेगा और चर्चा में भाग ले सकेगा तथा सभी विषयों पर मतदान कर सकेगा।

(४) उपराष्ट्रपति गुरु सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और वह गुरु सभा का सदस्य माना जाएगा।

(५) संघ के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयुक्त(ओं), एवं महाधिवक्ता(ओं) उपराष्ट्रपति को विवरण देंगें तथा उपराष्ट्रपति को उक्त अधिकारियों को नियुक्त एवं सेवामुक्त करने का अधिकार रहेगा।

(६) उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा।

(७) उपराष्ट्रपति द्वारा सभी नियुक्तियाँ एवं सेवामुक्तियाँ, गुरु सभा द्वारा निर्धारित किए गए नियमों, कार्यप्रणालीयों तथा आवश्यकताओं का पालन करने के पश्चात ही की जाऐंगी।

६.१० **गुरु सभा.-** (१) गुरु सभा समस्त क्षेत्रों में संघ एवं राज्यों की नीतियों का निर्धारण करेगी।

(२) संघ, राज्यों एवं स्थानीय निकायों के बीच में कर्तव्यों एवं दायित्वों का विभाजन गुरु सभा करेगी। गुरु सभा ऐसे तंत्र का प्रावधान और निर्माण भी करेगी जिससे राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का एवं साथ ही ऐसे विवादों का भी समाधान हो सके जिनमें एक ओर एक अथवा एक से अधिक राज्य हों तथा दूसरी ओर संघ हो।

(३) गुरु सभा उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगी।

(४) संघ के समस्त कानूनों (ऐसे विधेयकों को छोड़ कर जिनके द्वारा संघ सरकार के व्यय को स्वीकति देने का प्रावधान किया जाना हो) का प्रथम प्रस्तुतीकरण गुरु सभा में होगा।

(४) संघ के समस्त कानून लोक सभा को सुझावों और टिप्पणियों के लिए प्रेषित किए जाएंगें।

(५) व्यय विधेयकों का प्रथम प्रस्तुतीकरण लोक सभा में होगा।

६.१२ **चुनाव आयोग.-** चुनाव आयुक्त (ओं) एवं ऐसे अन्य अधिकारियों, जिन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त कर सकेगा, से चुनाव आयोग बनेगा। लोक सभा, गुरु सभा तथा प्रत्येक राज्य की विद्वत सभा एवं जनसभा के सदस्यों और साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव का दायित्व चुनाव आयोग का होगा।

६.१३ **महाधिवक्ता (ओं).-** यह महाधिवक्ता (ओं) का दायित्व होगा कि वह (वे) संघ की सभी संस्थाओं को संवैधानिक एवं वैधानिक विषयों पर परामर्श दे तथा समस्त प्रकरणों में न्यायालयों के सम्मुख व्यक्तिगत रुप से अथवा सहायकों के माध्यम से संघ का प्रतिनिधित्व करे।

अध्याय २ – गुरु सभा

६.१४ **गुरु सभा का संघटन.-** गुरु सभा निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(क) निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या तीन सौ से अधिक नहीं होगी; एवं

(ख) रक्षा सभा के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्य; एवं

(ग) लोक सभा के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्य; एवं

(घ) ऐसे बीस सदस्य जिनका मनोनयन उपराष्ट्रपति इस उद्देश्य से करेंगें कि गुरु सभाको वह सुविज्ञता उपलब्ध हो सके जिसकी कमी निर्वाचित सदस्यों में होने की संभावना हो; एवं

(ङ) संविधानानुसार पदेन सदस्य।

६.१५ **गुरु सभा के लिए मतदाता.-** (१) निम्नलिखित नागरिक गुरु सभा में मतदान देने के पात्र होंगें एवं प्रत्येक व्यक्ति के मतों का महत्त्वांक क्रमशः निम्नानुसार हैं–

(क) मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्राथमिक शाला शिक्षक – १(एक)

(ख) मान्यता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शाला शिक्षक – २(दो)

(ग) मान्यता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शाला शिक्षक – ३(तीन)

(घ) मान्यता प्राप्त विद्यालय या कनिष्ठ महाविद्यालय में उच्चतर माध्यमिक शाला शिक्षक – ४(चार)

(ङ) मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या संस्थान में शोधार्थी – ५(पाँच)

(च) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या संस्थान में व्याख्याता – १०(दस)

(छ) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में उप अथवा सहायक प्राध्यापक – २०(बीस)

(ज) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्राध्यापक – ३०(तीस)

(झ) मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय में शोध वैज्ञानिक – २०(बीस)

(ा) ऐसे व्यक्ति जिन्हें गुरु सभा से मान्यता प्राप्त एक अथवा अधिक पुरस्कार मिलें हों – १००(एक सौ)

(ट) गुरु सभा द्वारा निर्धारित सुशिक्षित नागरिकों की कोई अन्य श्रेणी।

(२) उपरोक्त मतदाता श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के लिए गुरु सभा किसी अन्य मापदंड(ओं) का निर्धारण कर सकेगी जिससे समय के साथ–साथ मतदाता आधार की गुणवत्ता में सुधार हो। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के मान्यता के मापदंड का निर्धारण भी गुरु सभा करेगी।

(३) कोई नागरिक, जो एक से अधिक श्रेणियों की पात्रता रखता हो, उस श्रेणी में वर्गीकत किया जाएगा जिसका महत्त्वांक अधिक हो।

६.१६ **गुरु सभा के सदस्य के लिए अर्हताएँ.-** (१) यदि कोई नागरिक निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई एक पूरी करता है तो वह गुरु सभा के सदस्य के रुप में चुने जाने के लिए योग्य होगा।

(क) यदि वह गुरु सभा का मतदाता है एवं उसके नामांकन का प्रस्ताव कम से कम तीन सौ कुल महत्त्वांक वाले गुरु सभा मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाता है; अथवा

(ख) यदि उसके नामांकन का प्रस्ताव कम से कम एक हजार कुल महत्त्वांक वाले मतदाताओं द्वारा किया जाता है।

(२) ऊपर (१) में कही किसी भी बात के बावजूद, यदि कोई नागरिक किसी संगठन अथवा श्रमिक संघ अथवा राजनैतिक दल का सदस्य है अथवा यदि उसे कभी किसी फौजदारी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर तीन माह अथवा उससे अधिक के कारावास की सजा आदेशित की गयी है अथवा यदि वह मानसिक रुप से विक्षिप्त घोषित है, तो वह गुरु सभा का चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा।

(३) ऊपर (१) एवं (२) में कही किसी भी बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसने गुरु सभा के चुनाव के दिन पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वह गुरु सभा का चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा।

६.१७ **गुरु सभा की सदस्यता की पदावधि.-** (१) पदत्याग, मत्यु अथवा अन्य किसी कारण, जिनका निर्णय गुरु सभा कर सकेगी, से सदस्यता समाप्ति की स्थिति को छोड़, प्रत्येक गुरु सभा सदस्य कम से कम चार वर्षों की अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

(२) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, उपराष्ट्रपति ऐसे सदस्यों की सूची बनाएगा जिन्होंने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं एवं वर्ष के प्रारंभ में ऐसे सदस्यों में से एक तिहाई निवत्त होंगे। निवत्त होने वाले सदस्यों की सूची का निर्धारण यथासंभव वरिष्ठता से होगा और जहाँ ऐसा संभव न हो लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(३) निवत्तमान होने वाले सदस्यों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति वर्षारंभ से ६० दिनों के अंदर की जाएगी।

६.१८ **गुरु सभा के निर्वाचन क्षेत्र.**- (१) गुरु सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण प्रत्येक दस वर्षों में एक बार किया जाएगा।

(२) देश के समस्त मतदाताओं के कुल महत्त्वांकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या से विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मत महत्त्वांक का जोड़ उक्त भागफल के यथासंभव निकट होगा।

(३) निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करते हुए, राज्यों, जिलों अथवा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाएगा।

६.१९ **गुरु सभा की कार्यवाही.**- गुरु सभा की कार्यवाही के निर्विध्न एवं न्यायोचित संचालन के लिए गुरु सभा नियम बनाएगी और ऐसे नियम सभी सदस्यों पर बाध्य होंगे। उक्त नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड और दण्ड–आरोपण की प्रक्रिया का निर्धारण भी गुरु सभा कर सकेगी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनने वाले प्रत्येक नियम, दण्ड एवं प्रक्रिया के निर्धारण के लिए गुरु सभा के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

६.२० **गुरु सभा के परामर्शदाता.**- उपराष्ट्रपति सदस्यों में से परामर्शदाताओं का मनोनयन करेगा जो कि गुरु सभा को परामर्श देने के लिए जिम्मेदार होंगे एवं मंत्रीपरिषद से समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होंगे ताकि गुरु सभा द्वारा निर्धारित नीतियों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।उपराष्ट्रपति के मनोनयन के अधिकार में पदच्युत करने का अधिकार सम्मिलित होगा।

६.२१ **गुरु सभा के किसी सदस्य की सदस्यता का समापन.**- गुरु सभा के किसी सदस्य की सदस्यता के समापन के मापदण्डों का निर्धारण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संयुक्त रूप से करेंगे। समापन के प्रत्येक प्रकरण पर गुरु सभा विचार करेगी तथा संबंधित सदस्य को एक अवसर दिया जाएगा कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। समापन के किसी भी प्रस्ताव की स्वीकति के लिए कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

६.२२ **गुरु सभा का विलोपन.**- किन्हीं भी परिस्थितियों में गुरु सभा को भंग नहीं किया जाएगा एवं किसी भी संख्या में रिक्तियाँ होने के बावजूद, गुरु सभा के निर्णय उतने ही प्रभावशाली होंगे।

अध्याय ३ – लोक सभा

६.२३ **लोक सभा का संघटन.**- (१) लोक सभा निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(क) भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या पाँच सौ पचास से अधिक नहीं होगी

(२) उपरोक्त खंड (१) के उपखंड (क) के उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा–

(क) देश का भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजन कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या व्यवहारिक रुप से यथासंभव समान हो।

(ख) राज्यों, जिलों या अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की सीमाओं का ध्यान किए बिना निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन।

(३) निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन पच्चीस वर्षों में एक बार किया जाएगा एवं लोक सभा यह निर्धारित करेगी कि विभाजन के लिए किस वर्ष के जनसंख्या आँकड़ों को आधार बनाया जाए। इस प्रकार का समायोजन तत्कालीन विद्यमान सभा को प्रभावित नहीं करेगा।

६.२४ **लोकसभा का कार्यकाल.-** (१) लोकसभा पहली बैठक से पाँच वर्ष के लिए कार्यरत रहेगी, उस स्थिति को छोड़ जब उसे उक्त कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही भंग कर दिया जाता है। उक्त कार्यकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा कार्यरत नहीं रहेगी एवं पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति लोकसभा के विलोपन का कार्य करेगी।

(२) जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी हो, तब राष्ट्रपति उक्त कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष से अनाधिक काल के लिए बढ़ा सकेंगें किंतु किसी भी स्थिति में कार्यकाल का विस्तार आपातकालीन उद्घोषणा के निष्प्रभावी होने के छः माह बाद से आगे नहीं जाएगा।

६.२५ **लोक सभा के सदस्य के लिए अर्हताएँ.-** कोई भी नागरिक लोक सभा के सदस्य के रुप में चुने जाने का तब ही पात्र होगा जब कि–

(क) वह पच्चीस वर्ष से अधिक एवं सत्तर वर्ष से कम आयु का है; एवं

(ख) उसके पास वे अर्हताएँ हैं जिनका निर्धारण संसद इस हेतु कर सकेगी।

६.२६ **प्रधानमंत्री का निर्वाचन.-** लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री निर्वाचित करेंगे जो कि लोक सभा सदस्य भी हो सकेगा और नहीं भी हो सकेगा।

६.२७ **मंत्री परिषद्.-** (१) प्रधानमंत्री मंत्री परिषद् का गठन करेगा एवं समय–समय पर परिषद् में कोई भी परिवर्तन कर सकेगा।

(२) कोई भी नागरिक जो लोक सभा सदस्य नहीं है, किंतु जिसका चयन मंत्री के रूप में होता है अथवा जिसका निर्वाचन प्रधानमंत्री के रूप में होता है, वह लोक सभा की कार्यवाही में भाग ले सकेगा परंतु वह लोक सभा में किसी भी विषय पर मतदान नहीं कर सकेगा।

६.२८ **प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री को पदच्युत करने की प्रकिया.-** (१) प्रधानमंत्री को पदच्युत करने के लिए दो तिहाई बहुमत से एवं किसी मंत्री को पदच्युत करने के लिए साधारण बहुमत से लोक सभा प्रस्ताव पारित कर सकेगी।

(२) यदि खंड (१) के अंर्तगत प्रधानमंत्री को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव पारित होता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद् तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाएगी।

(३) यदि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्री को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव पारित होता है तो संबंधित मंत्री तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाएगा एवं उसे कम से कम दो वर्ष की अवधि तक पुर्ननियुक्त नहीं किया जाएगा।

६.२६ **लोक सभा की कार्यवाही.-** लोक सभा की कार्यवाही के निर्विध्न एवं न्यायोचित संचालन के लिए लोक सभा नियम बनाएगी और ऐसे नियम सभी सदस्यों पर बाध्य होंगे। उक्त नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड और दण्ड–आरोपण की प्रक्रिया का निर्धारण भी लोक सभा कर सकेगी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनने वाले प्रत्येक नियम, दण्ड एवं प्रक्रिया के निर्धारण के लिए लोक सभा के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

६.३० **लोक सभा के किसी सदस्य की सदस्यता का समापन.-** लोक सभा के किसी सदस्य की सदस्यता के समापन के मापदण्डों का निर्धारण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संयुक्त रूप से करेंगे। समापन के प्रत्येक प्रकरण पर लोक सभा विचार करेगी तथा संबंधित सदस्य को एक अवसर दिया जाएगा कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। समापन के किसी भी प्रस्ताव की स्वीकति के लिए कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

६.३१ **लोक सभा का विलोपन.-** गुरु सभा अथवा रक्षा सभा, दो तिहाई या अधिक सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के माध्यम से, राष्ट्रपति को लोक सभा विलोपित करने की अनुशंसा कर सकेगी। राष्ट्रपति किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगा और लोक सभा को विलोपित करने का निर्णय ले सकेगा। किंतु, यदि लोक सभा को विलोपित करने का प्रस्ताव गुरु सभा एवं रक्षा सभा दोनों द्वारा दो–तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अविलंब लोक सभा को विलोपित कर देगा। विलोपन के छः माह के अंदर नए चुनाव कराए जाएँगे।

६.३२ **लोक सभा के विलोपन के पश्चात प्रधान मंत्री एवं मंत्री परिषद्.-** लोक सभा विलोपित करते हुए राष्ट्रपति या तो तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद् को नए चुनाव होने तक कामचलाऊ के रूप में कार्य करने को कहेगा अथवा एक नए प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद् की नियुक्ति करेगा। उक्त नयी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा गुरु सभा के परामर्शानुसार की जाएँगी।

अध्याय ४ – रक्षा सभा

६.३३ **रक्षा सभा का संघटन.-** रक्षा सभा निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(क) थल सेनाध्यक्ष ; एवं

(ख) वायु सेनाध्यक्ष ; एवं

(ग) जल सेनाध्यक्ष ; एवं

(घ) थल सेनाध्यक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति; एवं

(ङ) वायु सेनाध्यक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति; एवं

(च) जल सेनाध्यक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति; एवं

(ख) लोक सभा के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्य; एवं

(ज) गुरु सभा के परामर्श से उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्य; एवं

(झ) संविधानानुसार पदेन सदस्य।

(२) प्रत्येक सेनाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा एवं ऐसा करते हुए वह यह ध्यान रखेगा कि सेनाध्यक्षों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की संख्या, सेनाध्यक्षों को मिलाकर, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की कुल संख्या से अधिक न हो।

(३) असैनिक नागरिक तथा सैनिक अधिकारी, दोनों प्रकार के व्यक्ति सेनाध्यक्षों द्वारा मनोनीत किये जा सकेंगे।

६.३४ **रक्षा सभा की सदस्यता की पदावधि**.– (१) सेनाध्यक्ष तब तक सदस्य होंगे जब तक कि वे सेनाध्यक्ष के पद पर आसीन होंगे।

(२) पदत्याग, मत्यु अथवा समापन की स्थिति को छोड़, प्रत्येक रक्षा सभा सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

(३) निवत्तमान होने वाले सदस्यों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति रिक्ति होने के १० दिनों के अंदर की जाएगी।

६.३५ **रक्षा सभा के सदस्य के लिए अर्हताएँ.**- कोई भी नागरिक रक्षा सभा के सदस्य के रुप में चुने जाने का तब ही पात्र होगा जब कि–

(क) वह पच्चीस वर्ष से अधिक एवं साठ वर्ष से कम आयु का है; एवं

(ख) उसके पास वे अर्हताएँ हैं जिनका निर्धारण संसद इस हेतु कर सकेगी।

६.३६ **रक्षा सभा के किसी सदस्य की सदस्यता का समापन.**- रक्षा सभा के किसी सदस्य की सदस्यता के समापन के मापदण्डों का निर्धारण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संयुक्त रूप से करेंगे। समापन के प्रत्येक प्रकरण पर रक्षा सभा विचार करेगी तथा संबंधित सदस्य को एक अवसर दिया जाएगा कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। समापन के किसी भी प्रस्ताव की स्वीकति के लिए कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

६.३७ **रक्षा सभा की कार्यवाही.-** रक्षा सभा की कार्यवाही के निर्विध्न एवं न्यायोचित संचालन के लिए रक्षा सभा नियम बनाएगी और ऐसे नियम सभी सदस्यों पर बाध्य होंगे। उक्त नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड और दण्ड–आरोपण की प्रक्रिया का निर्धारण भी रक्षा सभा कर सकेगी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनने वाले प्रत्येक नियम, दण्ड एवं प्रक्रिया के निर्धारण के लिए रक्षा सभा के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

६.३८ **रक्षा सभा का विलोपन.-** किन्हीं भी परिस्थितियों में रक्षा सभा को भंग नहीं किया जाएगा एवं किसी भी संख्या में रिक्तियाँ होने के बावजूद, रक्षा सभा के निर्णय उतने ही प्रभावशाली होंगे।

अध्याय ५ – राष्ट्रपति

६.३६ **राष्ट्रपति का चुनाव.–** (१) लोक सभा एवं गुरु सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। मतदान गुप्त प्रणाली से कराया जाएगा एवं प्रत्येक सदस्य अपनी अंतर्तात्मानुसार मतदान करेगा।

(२) किसी भी प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित होने के लिए उसे कुल मतों का कम से कम पचास प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए। यदि किसी भी प्रत्याशी को अपेक्षित मत प्राप्त नहीं होते हैं तो अधिकतम मत प्राप्त करने वाले दो प्रत्याशियों के मध्य सीमित कर पुनः मतदान कराया जाएगा। यदि दूसरे चक्र में (अथवा पहले चक्र में जब दो ही प्रत्याशी हों) दोनों प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं तो उपराष्ट्रपति को अतिरिक्त निर्णायक मत की पात्रता होगी

६.४० **राष्ट्रपति की पदावधि.-** (१) राष्ट्रपति पदग्रहण से पाँच वर्ष की अवधि तक पदासीन रहेगा किंतु यह प्रावधान किया जाता है कि –

(क) उपराष्ट्रपति को सम्बोधित, लिखित, स्वहस्ताक्षरित त्यागपत्र द्वारा राष्ट्रपति पदत्याग कर सकेगा;

(ख) राष्ट्रपति को इस अध्याय में उल्लेखित महाभियोग की प्रक्रिया से पदच्युत किया जा सकेगा;

(ग) पदावधि समाप्त होने के बावजूद, राष्ट्रपति तब तक पद पर आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदारोहित नहीं हो जाता।

६.४१ **राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अहर्ताएँ.-** कोई भी नागरिक तब तक राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह लोक सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है।

६.४२ **राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया.-**(१) राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव तभी प्रभावी होगा जब गुरू सभा द्वारा दो–तिहाई बहुमत से पारित किये जाने के पश्चात, लोक सभा भी उक्त प्रस्ताव का दो–तिहाई बहुमत से अनुमोदन कर देती है।

(२) खंड (१) के अंतगर्त किसी प्रस्ताव को स्वीकति देने के पूर्व गुरू सभा एवं लोक सभा भी राष्ट्रपति को अपने सम्मुख उपस्थित होने, स्पष्टीकरण देने एवं किसी भी बचाव, जिसे राष्ट्रपति प्रस्तुत करना चाहे, को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी।

६.४३ **राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि.**-(१) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही, समाप्ति से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा।

(२) राष्ट्रपति की मत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से राष्ट्रपति पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के दिनांक के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में दो माह बीतने से पहले किया जाएगा तथा रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद ६.४० के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पदग्रहण के दिनांक से पाँच वर्ष की पूरी अवधि तक पदासीन रहने को अधिकत होगा।

अध्याय ६ – उपराष्ट्रपति

६.४४ **उपराष्ट्रपति का चुनाव.**– (१) गुरु सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। मतदान गुप्त प्रणाली से कराया जाएगा एवं प्रत्येक स्दस्य अपनी अंर्तात्मानुसार मतदान करेगा।

(२) किसी भी प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित होने के लिए उसे कुल मतों का कम से कम पचास प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए। यदि किसी भी प्रत्याशी को अपेक्षित मत प्राप्त नहीं होते हैं तो अधिकतम मत प्राप्त करने वाले दो प्रत्याशियों के मध्य सीमित कर पुनः मतदान कराया जाएगा। यदि दूसरे चक्र में (अथवा पहले चक्र में जब दो ही प्रत्याशी हों) दोनों प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं तो राष्ट्रपति को अतिरिक्त निर्णायक मत की पात्रता होगी

६.४५ **उपराष्ट्रपति की पदावधि.**- (१) उपराष्ट्रपति पदग्रहण से चार वर्ष की अवधि तक पदासीन रहेगा किंतु यह प्रावधान किया जाता है कि –

(क) राष्ट्रपति को सम्बोधित, लिखित, स्वहस्ताक्षरित त्यागपत्र द्वारा उपराष्ट्रपति पदत्याग कर सकेगा;

(ख) उपराष्ट्रपति को इस अध्याय में उल्लेखित महाभियोग की प्रक्रिया से पदच्युत किया जा सकेगा;

(ग) पदावधि समाप्त होने के बावजूद, उपराष्ट्रपति तब तक पद पर आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदारोहित नहीं हो जाता।

६.४६ **उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अहर्ताएँ.**- कोई भी नागरिक तब तक उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह गुरु सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है।

६.४७ **उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया.-**(१) उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव तब प्रभावी होगा जब गुरु सभा द्वारा दो–तिहाई बहुमत से पारित किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर देता है।

(२) खंड (१) के अंतगर्त किसी प्रस्ताव को स्वीकति देने के पूर्व गुरू सभा उपराष्ट्रपति को अपने सम्मुख उपस्थित होने, स्पष्टीकरण देने एवं किसी भी बचाव, जिसे उपराष्ट्रपति प्रस्तुत करना चाहे, को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी।

(३) गुरु सभा द्वारा खंड (१) के अंतर्गत पारित किसी प्रस्ताव पर, यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो लोक सभा से परामर्श कर सकेगा।

६.४८ **उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि.-**(१) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही, समाप्ति से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा।

(२) उपराष्ट्रपति की मत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उपराष्ट्रपति पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के दिनांक के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में एक माह बीतने से पहले किया जाएगा तथा रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद ६.४५ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पदग्रहण के दिनांक से चार वर्ष की पूरी अवधि तक पदासीन रहने को अधिकत होगा।

अध्याय ७ – न्यायपालिका

६.४९ **सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन.-** (१) इस संविधान के प्रारंभ में विद्‌यमान सर्वोच्च न्यायालय, इस संविधान को अंगीकत करने के पश्चात् भी जारी रहेगा।

(२) सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में गुरु सभा निम्नांकित विषयों के लिए नियम निर्धारण करेगी – न्यायमूर्तियों की संख्या, न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, न्यायमूर्तियों की सेवावधि में एवं सेवामुक्ति के पश्चात् आचरण संहिता, न्यायमूर्तियों में से एक की प्रमुख न्यायमूर्ति के रूप में पदोन्नति की प्रक्रिया, किसी न्यायमूर्ति को पदच्युत करने की प्रक्रिया एवं परिस्थितियाँ, न्यायमूर्तियों की सेवा शर्तें, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की पीठ एवं खंडपीठ, न्यायालय के आदेशों की पालन प्रणाली, न्यायालय की कार्यप्रणाली, न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के पुर्नविचार की प्रक्रिया तथा न्यायालयीन अभिलेखों की अनुरक्षा प्रणाली। अन्य सभी विषयों के संबंध में प्रमुख न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्तियों से परामर्श कर विधि अनुसार नियम निर्धारण कर सकेगा।

६.५० **सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावेदनीय अधिकारिता.-** किसी उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, आज्ञप्ति, परमादेश अथवा आदेश के विरुद्ध पुनरावेदन सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकेगा किंतु प्रमुख न्यायमूर्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्तियों से परामर्श पश्चात् बनाए नियम इस संबंध में लागू होंगें।

६.५१ **सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता.-** (१) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित विवादों में से किसी में, यदि और जहाँ तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्न उलझा है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो और वहाँ तक अन्य न्यायालयों को वर्जित करके सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता होगी:

(क) भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य; या

(ख) एक ओर भारत सरकार तथा कोई राज्य (या राज्यों) एवं दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के मध्य; या

(ग) दो या अधिक राज्यों के मध्य।

(२) खंड (१) के किसी विवाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी निर्णय, आदेश अथवा आज्ञप्ति के विरुद्ध पुनरावेदन गुरु सभा में किया जा सकेगा।

६.५२ **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि.-** यदि गुरु सभा या संसद् परिवर्तन न करे, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बंधनकारी होगी।

६.५३ **सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ.-** ऊपर उल्लेखित शक्तियों के अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय को विधि द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जा सकेंगी।

६.५४ **उच्च न्यायालयों का अधीक्षण.-** सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। न्यायालयों द्वारा न्यायोचित एवं शीघ्र न्याय दिए जाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय जैसा आवश्यक समझे, वैसा कोई भी कदम उठाएगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उक्त उद्देश्य के लिए कतिपय वैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता है तो वह इस संबंध में गुरु सभा को परामर्श दे सकेगा।

अध्याय ८ – विधि निर्माण प्रक्रिया

६.५५ **विधेयकों का प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकति.-** (१) इस अध्याय में जिन स्थितियों में अन्यथा निर्देशित हो उन्हें छोड़, प्रत्येक विधेयक का उद्गम गुरु सभा में होगा। किंतु लोक सभा प्रस्ताव पारित कर गुरु सभा को किसी विधेयक के प्रस्तुतीकरण की अनुशंसा कर सकेगी।

(२) यदि इस संविधान में अन्यथा निर्देशित नहीं है, तो कोई भी विधेयक अथवा प्रस्ताव अथवा संशोधन किसी सभा द्वारा पारित तब माना जाएगा जब उस सभा में उपस्थित आधे से अधिक सदस्य पक्ष में हों। यदि पक्ष और विपक्ष में मतसंख्या समान हो तो लोक सभा में राष्ट्रपति को तथा गुरु सभा में उपराष्ट्रपति को अतिरिक्त निर्णायक मत की पात्रता होगी।

६.५६ **वर्गीकत श्रेणी व्यय.-** (१) निम्नलिखित व्ययों को वर्गीकत श्रेणी व्यय माना जाएगाः

(क) राष्ट्रपति, उसके कर्मचारीगण एवं सम्बद्ध प्रतिष्ठान से संबंधित वेतन और व्यय;

(ख) उपराष्ट्रपति, उसके कर्मचारीगण एवं सम्बद्ध प्रतिष्ठान से संबंधित वेतन और व्यय;

(ग) गुरु सभा, लोक सभा तथा रक्षा सभा के सदस्यों, सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(घ) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों, सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(ङ) चुनाव आयोग, सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(च) नियंत्रक – महालेक्षापरीक्षक, सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(छ) महाधिवक्ता (ओं), सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(२) वर्गीकत श्रेणी व्यय से संबंधित सभी विषयों पर गुरु सभा निर्णय लेगी। गुरु सभा के अनुमोदन के पश्चात्, उपराष्ट्रपति वर्गीकत श्रेणी व्यय के कुल जोड़ को व्यय विधेयक में सम्मिलित करने के लिए प्रधानमंत्री को भेज देगा। लोक सभा वर्गीकत श्रेणी व्यय पर न तो चर्चा करेगी और न ही कोई टिप्पणी करेगी।

६.५७ **रक्षा व्यय.-** (१) रक्षा सभा प्रति वर्ष रक्षा व्यय विवरण बनाएगी और उसे प्रधानमंत्री एवं मंत्रीपरिषद् को प्रेषित करेगी। मंत्रीपरिषद् व्यय विवरण में संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी। रक्षा सभा ऐसे संशोधनों को मान भी सकेगी और नहीं भी मान सकेगी। यदि रक्षा सभा और मंत्रीपरिषद् व्यय विवरण पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो इसे राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा। राष्ट्रपति उक्त विषय पर उपराष्ट्रपति से परामर्श कर निर्णय देगा जो बंधनकारी होगा।

(२) रक्षा व्यय विवरण पर संसद् के किसी भी सदन में चर्चा नहीं होगी।

६.५८ **व्यय विधेयक.-** संघ की निधि से व्यय का प्रावधान करने वाले विधेयकों को लोक सभा में प्रथमशः प्रस्तुत एवं पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकति के लिए भेजा जाएगा। इस अध्याय के वर्गीकत श्रेणी व्यय तथा रक्षा व्यय से संबंधित प्रावधानों के अतिरिक्त, गुरु सभा अथवा रक्षा सभा, व्यय विधेयकों पर विचार नहीं करेंगी।

६.५६ **लोक सभा की टिप्पणियाँ.-** (१) गुरु सभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक, वर्गीकत श्रेणी व्यय के प्रावधान के लिए विधेयकों को छोड़, लोक सभा के विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा। उक्त विधेयक को लोक सभा या तो पारित कर राष्ट्रपति को अग्रेषित कर देगी या टिप्पणियों एवं सुझावों के साथ गुरु सभा को वापिस कर देगी।

(२) यदि लोक सभा किसी विधेयक को छः माह के भीतर न तो पारित करती है और न ही वापिस करती है, तो गुरु सभा उस विधेयक पर पुर्नविचार करेगी। यदि गुरु सभा पुर्नविचार के पश्चात् उक्त विधेयक को पारित करती है तो वह उसे राष्ट्रपति की स्वीकति के लिए प्रेषित कर देगी।

(३) यदि लोक सभा किसी विधेयक को टिप्पणियों एवं सुझावों के साथ गुरु सभा को वापिस कर देती है तो गुरु सभा उस पर पुर्नविचार करेगी एवं पुर्नविचार के बाद उसे लोक सभा को संशोधन सहित अथवा रहित पुनः प्रेषित कर देगी। लोक सभा उक्त विधेयक पर पुर्नविचार करेगी और उसे टिप्पणियों एवं सुझावों, यदि कोई हो तो, के साथ राष्ट्रपति को अग्रेषित कर देगी।

६.६० **राष्ट्रपति की स्वीकति.-** (१) राष्ट्रपति को बिना किसी टिप्पणी और सुझाव के अग्रेषित किये गए विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा तीन माह में स्वीकति प्रदान कर दी जाएगी।

(२) किसी टिप्पणी और सुझाव के साथ अग्रेषित विधेयक पर राष्ट्रपति विचार करेगा एवं वह या तो विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकत करेगा या उसे गुरु सभा को वापिस कर निर्देशित करेगा कि उक्त विधेयक को सभी अथवा कुछ टिप्पणियों एवं सुझावों के संदर्भ में संशोधित किया जाए।

(३) राष्ट्रपति द्वारा वापिस किए गए विधेयक की प्राप्ति पर गुरु सभा आवश्यक संशोधन करेगी एवं संशोधित विधेयक को यथाशीघ्र राष्ट्रपति की स्वीकति के लिए भेज देगी।

६.६१ **नीतियों, नियमों एवं कार्यप्रणालियों के लिए प्रक्रिया.-** इस अध्याय में निर्देशित प्रक्रिया केवल उन्हीं विधेयकों पर लागू होगी जो यथोचित प्रक्रम से गुजरने के पश्चात् विधि का रूप धारण करते हैं। यह प्रक्रिया उन नीतियों, नियमों एवं कार्यप्रणालियों तथा अन्य विषयों, जिन का निर्धारण करने के लिए गुरु सभा अधिकत है, पर लागू नहीं होगी। ऐसे सभी विषय जो गुरु सभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन से संबंधित दस्तावेजों पर गुरु सभा द्वारा अनुमोदन के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा।

६.६२ **प्रवर्तन दिनांक.-** (१) कोई विधेयक, राष्ट्रपति की स्वीकति के दिनांक अथवा विधेयक में निर्देशित दिनांक से कानून बन जाएगा।

(२) नीतियाँ, नियम, कार्यप्रणालियाँ तथा अन्य विषय जिन का निर्धारण करने के लिए गुरु सभा अधिकत है, उपराष्ट्रपति के हस्ताक्षर के दिनांक अथवा गुरु सभा द्वारा निर्णीत दिनांक से प्रवर्तित होंगे।

६.६३ **संसद् के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदनीय विषय.-** ऐसे सभी विषयों, जिन के लिए संसद् के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता है, से संबंधित विधेयकों अथवा प्रस्तावों को दोनों सदनों द्वारा बिना किसी टिप्पणी अथवा सुझाव के पारित करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा पारित करना संभव न हो तो तत्संबंधी विधेयक का परित्याग कर दिया जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक अथवा प्रस्ताव को राष्ट्रपति की स्वीकति के लिए प्रेषित किया जाएगा परन्तु ऐसा उस प्रस्ताव के लिए नहीं किया जाएगा जो राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए हो।

६.६४ **दो तिहाई बहुमत से अनुमोदनीय विषय.-** (१) उन सभी विषयों को, जिनको संसद् अथवा संसद् के किसी एक सदन अथवा रक्षा सभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित करना अपेक्षित है, वर्तमान एवं उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई द्वारा पारित किया जाएगा। यदि ऐसा करना संभव न हो तो उसका परित्याग कर दिया जाएगा।

(२) अनुच्छेद ६.६० में लिखित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे किसी भी विषय अथवा विधेयक, जिसके लिए संसद् के किसी सदन अथवा रक्षा सभा का दो–तिहाई बहुमत से अनुमोदन अपेक्षित है, को राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकति प्रदान कर सकता है और चाहे तो स्वीकति प्रदान नहीं कर सकता है।

६.६५ **अध्यादेश.-** (१) यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री एकमत हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें त्वरित कार्यवाही आवश्यक है, तो वे जैसा आवश्यक समझें, वैसा अध्यादेश पारित कर सकेंगे।

(२) इस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित कोई भी अध्यादेश, संसद् द्वारा पारित कानून के समान ही मान्य एवं प्रभावी होगा किंतु ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को –

(क) या तो संसद् द्वारा अध्यादेश की स्वीकति के दिनांक से चार माह के अंदर पारित किया जाएगा या तत्पश्चात् अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; एवं

(ख) राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय निष्प्रभावी किया जा सकेगा।

अध्याय ६ – सामान्य

६.६६ **सामान्य प्रतिबंध.-** इस संविधान में कहीं भी कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, किसी भी व्यक्ति को संघ अथवा राज्यों अथवा स्थानीय निकायों की किसी भी संस्था में कोई भी पद अथवा अधिकारभार अथवा सदस्यता ग्रहण करने अथवा बने रहने की अनुमति नहीं होगी यदि–

(क) वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है; अथवा

(ख) वह व्यक्ति किसी भी समय जानबूझ कर मूल कर्त्तव्यों की अवहेलना करने का दोषसिद्ध घोषित किया गया था; अथवा

(ग) उस व्यक्ति ने कभी भी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की थी; अथवा

(घ) उस व्यक्ति ने पचहत्तर वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

६.६७ **अंग्रेजी रूपान्तर एवं अर्थ निर्णय.-** (१) इस संविधान के अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों रूपान्तर अधिकत होंगे।

(२) यदि अंग्रेजी एवं हिन्दी रूपान्तर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतर देखा जाता है तो उक्त विषय को गुरु सभा को प्रेषित किया जाएगा तथा गुरु सभा का निर्णय अंतिम होगा।

(३) इस संविधान के किसी भी प्रावधान का अर्थ निर्णय गुरु सभा दे सकेगी एवं उक्त अर्थ निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

६.६८ **संविधान संशोधन.-** संसद् इस संविधान के किसी भी प्रावधान को कुछ जोड़ कर, परिवर्तन कर अथवा विलोपित कर संशोधित कर सकेगी। ऐसा कोई भी संशोधन संसद् के दोनों सदनों द्वारा कम से कम दो तिहाई मतों से पारित किया जाएगा एवं संसद् सदस्य पूर्णतः अपनी अंतर्रात्मानुसार ही मतदान करेंगे।

६.६९ **अल्पकालिक प्रावधान.-** संविधान भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र में प्रभावी होगा, किंतु संसद् प्रस्ताव (एक अथवा अधिक) पारित कर संविधान अथवा उसके कपितय प्रावधानों का कुछ क्षेत्र(ओं) में प्रभाव उल्लेखित समय के लिए लंबित कर सकेगी। ऐसे किसी भी प्रस्ताव(ओं) में उक्त क्षेत्र(ओं) के लिए विशेष विधान सम्मिलित हो सकता है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव(ओं) को संसद् के दोनों सदनों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाएगा।

६.७० **बहुमत अनुमोदन.-** यदि अन्यथा उल्लेखित न हो तो, बहुमत के अनुमोदन का अर्थ वर्तमान और उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा।

भाग ७

राज्य

अध्याय १ संस्थाएँ – शक्तियाँ और दायित्व

७.०१ **संरचना.-** प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित संस्थाएं होंगीं:

(क) राज्यपाल

(ख) विद्वत सभा

(ग) जन सभा

(घ) न्यायपालिका

(ङ) राज्य नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

(च) राज्य महाधिवक्ता

(छ) राज्य निर्वाचन आयोग

७.०२ **विधायिका.**- राज्यपाल, विद्वत सभा एवं जन सभा को मिलाकर विधायिका बनेगी।

७.०३ **राज्य की कार्यपालिका शक्ति.**- (१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति जन सभा में निहित होगी और यह शक्ति इस संविधान के अंर्तगत बने कानूनों एवं नीतियों के अधीन होगी। कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग की अभिव्यक्ति '........................ (राज्य का नाम) सरकार' के नाम से की जाएगी।

(२) जन सभा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रीपरिषद् के माध्यम से करेगी। मंत्रीपरिषद् का नेतत्व मुख्यमंत्री करेगा।

(३) जन सभा किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, मंत्रीपरिषद् के एक सदस्य के नियंत्रण में रखते हुए, कोई भी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी।

७.०४ **राज्य की विधायी शक्ति.**– राज्य की विधायी शक्ति विधायिका में निहित होगी।

७.०५ **राज्य की निधि.**- राज्य नियंत्रक–महालेखापरीक्षक राज्य की निधि का न्यासी होगा एवं यह उसका दायित्व होगा कि वह ऐसे हर कत्य अथवा कार्यप्रणाली का विवरण राज्यपाल को दे जिससे निधि के समुचित उपयोग के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

७.०६ **न्याय.**- राज्य में स्थित न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों का प्रशासन उच्च न्यायालय का दायित्व होगा तथा उच्च न्यायालय पुनरावेदन का न्यायालय होगा।

७.०७ **राज्यपाल .**- (१) राज्यपाल विद्वत सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और वह विद्वत सभा का सदस्य माना जाएगा।

(२) राज्यपाल जन सभा का पदेन सदस्य होगा एवं वह जन सभा की सभी बैठकों में उपस्थित रह सकेगा और चर्चा में भाग ले सकेगा तथा सभी विषयों पर मतदान कर सकेगा।

(३) राज्य के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयुक्त(ओं), एवं महाधिवक्ता(ओं) राज्यपाल को विवरण देंगें तथा राज्यपाल को उक्त अधिकारियों को नियुक्त एवं सेवामुक्त करने का अधिकार रहेगा।

(४) राज्यपाल उच्च न्यायालयों को छोड़ राज्य में स्थित न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा।

(५) राज्यपाल द्वारा सभी नियुक्तियाँ एवं सेवामुक्तियाँ, विद्वत सभा द्वारा निर्धारित किए गए नियमों, कार्यप्रणालीयों तथा आवश्यकताओं का पालन करने के पश्चात ही की जाऐंगी।

७.०८ **विद्वत सभा विद्वत सभा.-** (१) विद्वत सभा राज्यपाल का चुनाव करेगी।

(२) राज्य के समस्त कानूनों (ऐसे विधेयकों को छोड़ कर जिनके द्वारा राज्य सरकार के व्यय को स्वीकति देने का प्रावधान किया जाना हो) का प्रथम प्रस्तुतीकरण विद्वत सभा में होगा।

(३) करारोपण एवं इस प्रकार के अन्य वित्तीय विषयों, व्यय को छोड़ कर, के विधेयकों का प्रथम प्रस्तुतीकरण विद्वत सभा में होगा।

७.०६ **जन सभा.-** (१) राज्य की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जन सभा जिम्मेदार होगी।

(२) जन सभा मंत्रीपरिषद् पर नियंत्रण एवं अंकुश रखेगी।

(३) जन सभा मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी जो मंत्रीपरिषद् चुनेगा।

(४) राज्य के समस्त कानून जन सभा को सुझावों और टिप्पणियों के लिए प्रेषित किए जाएंगें।

(५) व्यय विधेयकों का प्रथम प्रस्तुतीकरण जन सभा में होगा।

७.१० **राज्य चुनाव आयोग.-** राज्य चुनाव आयुक्त (ओं) एवं ऐसे अन्य अधिकारियों, जिन्हें राज्यपाल नियुक्त कर सकेगा, से राज्य चुनाव आयोग बनेगा। जन सभा एवं विद्वत सभा के सदस्यों के चुनाव का दायित्व चुनाव आयोग का होगा।

७.११ **राज्य महाधिवक्ता (ओं).-** यह राज्य महाधिवक्ता (ओं) का दायित्व होगा कि वह (वे) राज्य की सभी संस्थाओं को संवैधानिक एवं वैधानिक विषयों पर परामर्श दे तथा समस्त प्रकरणों में न्यायालयों के सम्मुख व्यक्तिगत रुप से अथवा सहायकों के माध्यम से राज्य का प्रतिनिधित्व करे।

अध्याय २ – विद्वत सभा

७.१२ **विद्वत सभा का संघटन.-** यदि गुरु सभा द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया गया है तो विद्वत सभा निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(क) निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या गुरु सभा द्वारा निर्धारित की जाएगी; एवं

(ख) जन सभा द्वारा मनोनीत सदस्य, जिनकी संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या के पाँच प्रतिशत का निकटतम उच्चतर पूर्णांक होगी; एवं

(ग) ऐसे सदस्य जिनकी संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत का निकटतम उच्चतर पूर्णांक होगी एवं जिनका मनोनयन राज्यपाल इस उद्देश्य से करेंगें कि विद्वत सभा को वह सुविज्ञता उपलब्ध हो सके जिसकी कमी निर्वाचित सदस्यों में होने की संभावना हो; एवं

(घ) संविधानानुसार पदेन सदस्य।

७.१३ **विद्वत सभा के लिए मतदाता.-** राज्य में निवास करने वाले गुरु सभा के सभी मतदाता विद्वत सभा के लिए मतदाता होंगें तथा उनके मतों का महत्तवांक गुरु सभा के चुनाव के समान ही होगा।

७.१४ **विद्वत सभा के सदस्य के लिए अर्हताएँ.-** (१) यदि कोई नागरिक निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई एक पूरी करता है तो वह विद्वत सभा के सदस्य के रुप में चुने जाने के लिए योग्य होगा।

(क) यदि वह विद्वत सभा का मतदाता है एवं उसके नामांकन का प्रस्ताव कम से कम एक सौ कुल महत्त्वांक वाले विद्वत सभा मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाता है; अथवा

(ख) यदि उसके नामांकन का प्रस्ताव कम से कम तीन सौ कुल महत्त्वांक वाले विद्वत सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है।

(२) ऊपर (१) में कही किसी भी बात के बावजूद, यदि कोई नागरिक किसी संगठन अथवा श्रमिक संघ अथवा राजनैतिक दल का सदस्य है अथवा यदि उसे कभी किसी फौजदारी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर तीन माह अथवा उससे अधिक के कारावास की सजा आदेशित की गयी है अथवा यदि वह मानसिक रुप से विक्षिप्त घोषित है, तो वह विद्वत सभा का चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा।

(३) ऊपर (१) एवं (२) में कही किसी भी बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसने विद्वत सभा के चुनाव के दिन पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वह विद्वत सभा का चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा।

७.१५ **विद्वत सभा की सदस्यता की पदावधि.-** (१) पदत्याग, मत्यु अथवा अन्य किसी कारण, जिनका निर्णय गुरु सभा कर सकेगी, से सदस्यता समाप्ति की स्थिति को छोड़, प्रत्येक विद्वत सभा सदस्य कम से कम चार वर्षों की अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

(२) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, राज्यपाल ऐसे सदस्यों की सूची बनाएगा जिन्होंने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं एवं वर्ष के प्रारंभ में ऐसे सदस्यों में से एक तिहाई निवत्त होंगे। निवत्त होने वाले सदस्यों की सूची का निर्धारण यथासंभव वरिष्ठता से होगा और जहाँ ऐसा संभव न हो लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(३) निवत्तमान होने वाले सदस्यों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति वर्षारंभ से ६० दिनों के अंदर की जाएगी।

७.१६ **विद्वत सभा के निर्वाचन क्षेत्र.-** (१) विद्वत सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण प्रत्येक दस वर्षों में एक बार किया जाएगा।

(२) राज्य के समस्त मतदाताओं के कुल महत्त्वांकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या से विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मत महत्त्वांक का जोड़ उक्त भागफल के यथासंभव निकट होगा।

(३) निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करते हुए, जिलों अथवा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाएगा।

७.१७ **विद्वत सभा की कार्यवाही.-** विद्वत सभा की कार्यवाही के निर्विध्न एवं न्यायोचित संचालन के लिए विद्वत सभा नियम बनाएगी और ऐसे नियम सभी सदस्यों पर बाध्य होंगे। उक्त नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड और दण्ड–आरोपण की प्रकिया का निर्धारण भी विद्वत सभा कर सकेगी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनने वाले प्रत्येक नियम, दण्ड एवं प्रकिया के निर्धारण के लिए विद्वत सभा के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

७.१८ **विद्वत सभा के परामर्शदाता.-** राज्यपाल सदस्यों में से परामर्शदाताओं का मनोनयन करेगा जो कि विद्वत सभा को परामर्श देने के लिए जिम्मेदार होंगे एवं मंत्रीपरिषद से समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्यपाल के मनोनयन के अधिकार में पदच्युत करने का अधिकार सम्मिलित होगा।

७.१९ **विद्वत सभा के किसी सदस्य की सदस्यता का समापन.-** विद्वत सभा के किसी सदस्य की सदस्यता के समापन के मापदण्डों का निर्धारण गुरु सभा करेगी। समापन के प्रत्येक प्रकरण पर विद्वत सभा विचार करेगी तथा संबंधित सदस्य को एक अवसर दिया जाएगा कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। समापन के किसी भी प्रस्ताव की स्वीकति के लिए कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

७.२० **विद्वत सभा का विलोपन.-** (१) गुरु सभा किसी भी राज्य की विद्वत सभा के विलोपन का प्रस्ताव पारित कर सकेगी। ऐसे किसी प्रस्ताव को सदन में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(२) यदि विद्वत सभा के विलोपन के प्रस्ताव में ऐसा उल्लेखित नहीं है तो विद्वत सभा के विलोपन की स्थिति में राज्यपाल पदच्युत नहीं होगा।

(३) विद्वत सभा के लिए नए चुनाव एवं मनोनयन यथाशीघ्र कराए जाएंगें किंतु विद्वत सभा के विलोपन से नए चुनाव एवं मनोनयन की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

(४) जब किसी राज्य की विद्वत सभा विलोपित है, तब उस विद्वत सभा की शक्तियाँ गुरु सभा में निहित होंगी। गुरु सभा उक्त शक्तियों का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयंमेव अथवा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त व्यक्ति(यों) के माध्यम से करेगी।

अध्याय ३ – जन सभा

७.२१ **जन सभा का संघटन.-** (१) जन सभा भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या का निर्धारण लोक सभा करेगी।

(२) उपरोक्त खंड (१) के उद्देश्य के लिए राज्य चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा—

(क) राज्य का भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजन कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या व्यवहारिक रुप से यथासंभव समान हो।

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन।

(३) निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन पच्चीस वर्षों में एक बार किया जाएगा एवं लोक सभा यह निर्धारित करेगी कि विभाजन के लिए किस वर्ष के जनसंख्या आँकड़ों को आधार बनाया जाए। इस प्रकार का समायोजन तत्कालीन विद्यमान सभा को प्रभावित नहीं करेगा।

७.२२ **जन सभा का कार्यकाल.-** (१) जन सभा पहली बैठक से पाँच वर्ष के लिए कार्यरत रहेगी, उस स्थिति को छोड़ जब उसे उक्त कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही भंग कर दिया जाता है। उक्त कार्यकाल समाप्त होने के बाद जन सभा कार्यरत नहीं रहेगी एवं पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति जन सभा के विलोपन का कार्य करेगी।

(२) जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी हो, तब राष्ट्रपति उक्त कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष से अनाधिक काल के लिए बढ़ा सकेंगें किंतु किसी भी स्थिति में कार्यकाल का विस्तार आपातकालीन उद्घोषणा के निष्प्रभावी होने के छः माह बाद से आगे नहीं जाएगा।

७.२३ **जन सभा के सदस्य के लिए अर्हताएँ.-** कोई भी नागरिक तब तक जन सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह लोक सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है।

७.२४ **जन सभा की कार्यवाही.-** जन सभा की कार्यवाही के निर्विध्न एवं न्यायोचित संचालन के लिए जन सभा नियम बनाएगी और ऐसे नियम सभी सदस्यों पर बाध्य होंगे। उक्त नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड और दण्ड–आरोपण की प्रक्रिया का निर्धारण भी जन सभा कर सकेगी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनने वाले प्रत्येक नियम, दण्ड एवं प्रक्रिया के निर्धारण के लिए जन सभा के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

७.२५ **मुख्यमंत्री का निर्वाचन.-** जन सभा के सदस्य मुख्यमंत्री निर्वाचित करेंगे जो कि जन सभा सदस्य भी हो सकेगा और नहीं भी हो सकेगा।

७.२६ **मंत्री परिषद्.-** (१) मुख्यमंत्री मंत्री परिषद् का गठन करेगा एवं समय–समय पर परिषद् में कोई भी परिवर्तन कर सकेगा।

(२) कोई भी नागरिक जो जन सभा सदस्य नहीं है, किंतु जिसका चयन मंत्री के रूप में होता है अथवा जिसका निर्वाचन मुख्यमंत्री के रूप में होता है, वह जन सभा की कार्यवाही में भाग ले सकेगा परंतु वह जन सभा में किसी भी विषय पर मतदान नहीं कर सकेगा।

७.२७ **मुख्यमंत्री अथवा किसी मंत्री को पदच्युत करने की प्रकिया.-** (१) मुख्यमंत्री को पदच्युत करने के लिए दो तिहाई बहुमत से एवं किसी मंत्री को पदच्युत करने के लिए साधारण बहुमत से जन जन सभा प्रस्ताव पारित कर सकेगी।

(२) यदि खंड (१) के अंर्तगत मुख्यमंत्री को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव पारित होता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद् तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाएगी।

(३) यदि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्री को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव पारित होता है तो संबंधित मंत्री तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाएगा एवं उसे कम से कम दो वर्ष की अवधि तक पुर्ननियुक्त नहीं किया जाएगा।

७.२८ **जन सभा के किसी सदस्य की सदस्यता का समापन.-** जन सभा के किसी सदस्य की सदस्यता के समापन के मापदण्डों का निर्धारण लोक सभा करेगी। समापन के प्रत्येक प्रकरण पर जन सभा विचार करेगी तथा संबंधित सदस्य को एक अवसर दिया जाएगा कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। समापन के किसी भी प्रस्ताव की स्वीकति के लिए कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

७.२६ **जन सभा का विलोपन.-** लोक सभा अथवा रक्षा सभा, दो तिहाई या अधिक सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के माध्यम से, राष्ट्रपति को किसी राज्य की जन सभा विलोपित करने की अनुशंसा कर सकेगी।ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर राष्ट्रपति या तो उस जन सभा को विलोपित करेगा अथवा गुरु सभा से परामर्श करेगा। जन सभा के विलोपन के पश्चात नए चुनाव तभी कराए जाएँगे जब राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति अथवा संघ की मंत्री परिषद् ऐसी अनुशंसा करती है।

७.३० **जन सभा के विलोपन के पश्चात मुख्य मंत्री एवं मंत्री परिषद्.-** जन सभा विलोपित होने पर मुख्यमंत्री एवं मंत्रीपरिषद् पदच्युत हो जाएँगें तथा नए चुनाव होने एवं नई मंत्रीपरिषद् के पदग्रहण करने तक राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी।

अध्याय ४ – राज्यपाल

७.३१ **राज्यपाल का चुनाव.–** (१) विद्वत सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यपाल का चुनाव किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का एक मत होगा। मतदान गुप्त प्रणाली से कराया जाएगा एवं प्रत्येक स्दस्य अपनी अंर्तात्मानुसार मतदान करेगा।

(२) किसी भी प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित होने के लिए उसे कुल मतों का कम से कम पचास प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए। यदि किसी भी प्रत्याशी को अपेक्षित मत प्राप्त नहीं होते हैं तो अधिकतम मत प्राप्त करने वाले दो प्रत्याशियों के मध्य सीमित कर पुनः मतदान कराया जाएगा। यदि दूसरे चक्र में (अथवा पहले चक्र में जब दो ही प्रत्याशी हों) दोनों प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं तो उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत की पात्रता होगी

७.३२ **राज्यपाल की पदावधि.-** (१) राज्यपाल पदग्रहण से चार वर्ष की अवधि तक पदासीन रहेगा किंतु यह प्रावधान किया जाता है कि –

(क) उपराष्ट्रपति को सम्बोधित, लिखित, स्वहस्ताक्षरित त्यागपत्र द्वारा राज्यपाल पदत्याग कर सकेगा;

(ख) राज्यपाल को इस अध्याय में उल्लेखित महाभियोग की प्रक्रिया से पदच्युत किया जा सकेगा;

(ग) गुरु सभा प्रस्ताव पारित कर किसी राज्य के राज्यपाल को पदच्युत करने की अनुशंसा कर सकेगी एवं तदानुसार उपराष्ट्रपति तुरंत उस राज्यपाल को पदच्युत करने का आदेश देगा।

७.३३ **राज्यपाल के चुनाव के लिए अहर्ताएँ.-** कोई भी नागरिक तब तक किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में चुने जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस राज्य की विद्वत सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है।

७.३४ **राज्यपाल पर महाभियोग की प्रतिक्रिया.-**(१) राज्यपाल पर महाभियोग का प्रस्ताव तभी प्रभावी होगा जब विद्वत सभा द्वारा दो–तिहाई बहुमत से पारित किये जाने के पश्चात उपराष्ट्रपति उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर देता है।

(२) खंड (१) के अंतगर्त किसी प्रस्ताव को स्वीकति देने के पूर्व विद्वत सभा राज्यपाल को अपने सम्मुख उपस्थित होने, स्पष्टीकरण देने एवं किसी भी बचाव, जिसे राज्यपाल प्रस्तुत करना चाहे, को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी।

७.३५ **राज्यपाल के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि.-**(१) राज्यपाल की पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही, समाप्ति से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा।

(२) राज्यपाल की मत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से राज्यपाल पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के दिनांक के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में एक माह बीतने से पहले किया जाएगा तथा रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद ७.३२ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पदग्रहण के दिनांक से चार वर्ष की पूरी अवधि तक पदासीन रहने को अधिकत होगा।

अध्याय ५ – राज्य न्यायपालिका

७.३६ **उच्च न्यायालयों की स्थापना एवं गठन.-** (१) इस संविधान के प्रारंभ में विद्यमान उच्च न्यायालय, इस संविधान को अंगीकत करने के पश्चात् भी जारी रहेंगे।

(२) राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में उस राज्य की विद्वत सभा निम्नांकित विषयों के लिए नियम निर्धारण करेगी – न्यायमूर्तियों की संख्या, न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, न्यायमूर्तियों की सेवावधि में एवं सेवामुक्ति के पश्चात् आचरण संहिता, न्यायमूर्तियों में से एक की प्रमुख न्यायमूर्ति के रूप में पदोन्नति की प्रक्रिया, किसी न्यायमूर्ति को पदच्युत करने की प्रक्रिया एवं परिस्थितियाँ, न्यायमूर्तियों की सेवा शर्तें, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की पीठ एवं खंडपीठ, न्यायालय के आदेशों की पालन प्रणाली, न्यायालय की कार्यप्रणाली, न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के पुर्नविचार की प्रक्रिया तथा न्यायालयीन अभिलेखों की अनुरक्षा प्रणाली। उक्त नियम निर्धारण के संबंध में गुरु सभा किसी भी राज्य की विद्वत सभा को परामर्श दे सकेगी तथा इस प्रकार का परामर्श बंधनकारी होगा।

(३) अन्य सभी विषयों के संबंध में प्रमुख न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्तियों से परामर्श कर विधि अनुसार नियम निर्धारण कर सकेगा। उक्त नियम निर्धारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय को परामर्श दे सकेगा तथा इस प्रकार का परामर्श बंधनकारी होगा।

७.३७ **उच्च न्यायालय की पुनरावेदनीय अधिकारिता.-** राज्य में स्थित किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश के विरुद्ध पुनरावेदन उच्च न्यायालय में किया जा सकेगा किंतु प्रमुख न्यायमूर्ति द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्तियों से परामर्श पश्चात् बनाए नियम इस संबंध में लागू होंगें।

७.३८ **उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता.-** (१) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित विवादों में से किसी में, यदि और जहाँ तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्न उलझा है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो और वहाँ तक अन्य न्यायालयों को वर्जित करके राज्य के उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता होगी:

(क) राज्य सरकार एवं एक या अधिक स्थानीय निकायों के मध्य; या

(ख) एक ओर राज्य सरकार तथा कोई (एक या अधिक) स्थानीय निकाय एवं दूसरी ओर एक या अधिक अन्य स्थानीय निकायों के मध्य; या

(ग) दो या अधिक स्थानीय निकायों के मध्य।

(२) खंड (१) के किसी विवाद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी निर्णय, आदेश अथवा आज्ञप्ति के विरुद्ध पुनरावेदन विद्वत सभा में किया जा सकेगा।

७.३६ **उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि.-** यदि विद्वत सभा या विधायिका या गुरु सभा या संसद् परिवर्तन न करे, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बंधनकारी होगी।

७.४० **उच्च न्यायालय की शक्तियाँ.-** ऊपर उल्लेखित शक्तियों के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय को विधि द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जा सकेंगी।

७.४१ **न्यायाधिकरणों, जिला एवं स्थानीय निकाय न्यायालयों का अधीक्षण.-** उच्च न्यायालय राज्य में स्थित न्यायाधिकरणों, जिला एवं स्थानीय निकाय न्यायालयों (सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित सैन्य न्यायालयों को छोड़) के अधीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। न्यायालयों द्वारा न्यायोचित एवं शीघ्र न्याय दिए जाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय जैसा आवश्यक समझे, वैसा कोई भी कदम उठाएगा। यदि उच्च न्यायालय के मतानुसार उक्त उद्देश्य के लिए कतिपय वैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता है तो वह इस संबंध में विद्वत सभा को परामर्श दे सकेगा।

अध्याय ६ – राज्य विधि निर्माण प्रक्रिया

७.४२ **विधेयकों का प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकति.-** (१) इस अध्याय में जिन स्थितियों में अन्यथा निर्देशित हो उन्हें छोड़, प्रत्येक विधेयक का उद्‌गम विद्वत सभा में होगा। किंतु जन सभा प्रस्ताव पारित कर गुरु सभा को किसी विधेयक के प्रस्तुतीकरण की अनुशंसा कर सकेगी।

(२) यदि इस संविधान में अन्यथा निर्देशित नहीं है, तो कोई भी विधेयक अथवा प्रस्ताव अथवा संशोधन किसी सभा द्वारा पारित तब माना जाएगा जब उस सभा में उपस्थित आधे से अधिक सदस्य पक्ष में हों। यदि पक्ष और विपक्ष में मतसंख्या समान हो तो राज्यपाल को अतिरिक्त निर्णायक मत की पात्रता होगी।

७.४३ **राज्य वर्गीकत श्रेणी व्यय.-** (१) निम्नलिखित व्ययों को राज्य वर्गीकत श्रेणी व्यय माना जाएगाः

(क) राज्यपाल, उसके कर्मचारीगण एवं सम्बद्ध प्रतिष्ठान से संबंधित वेतन और व्यय;

(ख) मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद्, उनके कर्मचारीगण एवं सम्बद्ध प्रतिष्ठान से संबंधित वेतन और व्यय;

(ग) विद्वत सभा तथा जन सभा के सदस्यों, सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(घ) उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों एवं जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(ङ) राज्य चुनाव आयोग, सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(च) राज्य नियंत्रक – महालेक्षापरीक्षक, सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(छ) राज्य महाधिवक्ता (ओं), सम्बद्ध कर्मचारीगण एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित वेतन और व्यय;

(२) राज्य वर्गीकत श्रेणी व्यय से संबंधित सभी विषयों पर विद्वत सभा निर्णय लेगी। विद्वत सभा के अनुमोदन के पश्चात्, राज्यपाल राज्य वर्गीकत श्रेणी व्यय के कुल जोड़ को व्यय विधेयक में सम्मिलित करने के लिए मुख्यमंत्री को भेज देगा। जन सभा वर्गीकत श्रेणी व्यय पर न तो चर्चा करेगी और न ही कोई टिप्पणी करेगी।

७.४४ **व्यय विधेयक.-** राज्य की निधि से व्यय का प्रावधान करने वाले विधेयकों को जन सभा में प्रथमशः प्रस्तुत एवं पारित कर राज्यपाल की स्वीकति के लिए भेजा जाएगा। इस अध्याय के वर्गीकत श्रेणी व्यय से संबंधित प्रावधानों के अतिरिक्त विद्वत सभा व्यय विधेयकों पर विचार नहीं करेंगी।

७.४५ **जन सभा की टिप्पणियाँ.-** (१) विद्वत सभा द्वारा पारित प्रत्येक राज्य विधेयक, वर्गीकत श्रेणी व्यय के प्रावधान के लिए विधेयकों को छोड़, जन सभा के विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा। उक्त विधेयक को जन सभा या तो पारित कर राज्यपाल को अग्रेषित कर देगी या टिप्पणियों एवं सुझावों के साथ विद्वत सभा को वापिस कर देगी।

(२) यदि जन सभा किसी विधेयक को छः माह के भीतर न तो पारित करती है और न ही वापिस करती है, तो विद्वत सभा उस विधेयक पर पुर्नविचार करेगी। यदि विद्वत सभा पुर्नविचार के पश्चात् उक्त विधेयक को पारित करती है तो वह उसे राज्यपाल की स्वीकति के लिए प्रेषित कर देगी।

(३) यदि जन सभा किसी विधेयक को टिप्पणियों एवं सुझावों के साथ विद्वत सभा को वापिस कर देती है तो विद्वत सभा उस पर पुर्नविचार करेगी एवं पुर्नविचार के बाद उसे जन सभा को संशोधन सहित अथवा रहित पुनः प्रेषित कर देगी। जन सभा उक्त विधेयक पर पुर्नविचार करेगी और उसे टिप्पणियों एवं सुझावों, यदि कोई हो तो, के साथ राज्यपाल को अग्रेषित कर देगी।

७.४६ **राज्यपाल की स्वीकति.-** (१) राज्यपाल को बिना किसी टिप्पणी और सुझाव के अग्रेषित किये गए विधेयक को राज्यपाल द्वारा तीन माह में स्वीकति प्रदान कर दी जाएगी।

(२) किसी टिप्पणी और सुझाव के साथ अग्रेषित विधेयक को राज्यपाल परामर्शार्थ उपराष्ट्रपति को भेजेगा तथा उपराष्ट्रपति के परामर्शानुसार राज्यपाल उस विधेयक को या तो बिना किसी संशोधन के स्वीकत करेगा या उसे विद्वत सभा को वापिस कर निर्देशित करेगा कि उक्त विधेयक को सभी अथवा कुछ टिप्पणियों एवं सुझावों के संदर्भ में संशोधित किया जाए।

(३) राज्यपाल द्वारा वापिस किए गए विधेयक की प्राप्ति पर विद्वत सभा आवश्यक संशोधन करेगी एवं संशोधित विधेयक को यथाशीघ्र राज्यपाल की स्वीकति के लिए भेज देगी।

७.४७ **नियमों एवं कार्यप्रणालियों के लिए प्रकिया.-** इस अध्याय में निर्देशित प्रक्रिया केवल उन्हीं राज्य विधेयकों पर लागू होगी जो यथोचित प्रक्रम से गुजरने के पश्चात् राज्य विधि का रूप धारण करते हैं। यह प्रक्रिया उन नियमों एवं कार्यप्रणालियों तथा अन्य विषयों, जिन का निर्धारण करने के लिए विद्वत सभा अधिकत है, पर लागू नहीं होगी। ऐसे सभी विषय जो विद्वत सभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन से संबंधित दस्तावेजों पर विद्वत सभा द्वारा अनुमोदन के तुरंत बाद राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा।

७.४८ **प्रवर्तन दिनांक.-** (१) कोई विधेयक, राज्यपाल की स्वीकति के दिनांक अथवा विधेयक में निर्देशित दिनांक से कानून बन जाएगा।

(२) नियम, कार्यप्रणालियाँ तथा अन्य विषय जिन का निर्धारण करने के लिए विद्वत सभा अधिकत है, विद्वत सभा द्वारा निर्णीत दिनांक से प्रवर्तित होंगे।

७.४६ **विधायिका के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदनीय विषय.-** ऐसे सभी विषयों, जिन के लिए विधायिका के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता है, से संबंधित विधेयकों अथवा प्रस्तावों को दोनों सदनों द्वारा बिना किसी टिप्पणी अथवा सुझाव के पारित करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा पारित करना संभव न हो तो तत्संबंधी विधेयक का परित्याग कर दिया जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक अथवा प्रस्ताव को राज्यपाल की स्वीकति के लिए प्रेषित किया जाएगा।

७.५० **दो तिहाई बहुमत से अनुमोदनीय विषय.-** (१) उन सभी विषयों को, जिनको विधायिका अथवा विधायिका के किसी एक सदन द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित करना अपेक्षित है, वर्तमान एवं उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई द्वारा पारित किया जाएगा। यदि ऐसा करना संभव न हो तो उसका परित्याग कर दिया जाएगा।

(२) अनुच्छेद ७.४६ में लिखित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे किसी भी विषय अथवा विधेयक, जिसके लिए विधायिका के किसी सदन का दो–तिहाई बहुमत से अनुमोदन अपेक्षित है, को राज्यपाल चाहे तो स्वीकति प्रदान कर सकता है और चाहे तो स्वीकति प्रदान नहीं कर सकता है।

७.५१ **अध्यादेश.-** (१) यदि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री एकमत हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें त्वरित कार्यवाही आवश्यक है, तो वे जैसा आवश्यक समझें, वैसा अध्यादेश पारित कर सकेंगे।

(२) इस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित कोई भी अध्यादेश, विधायिका द्वारा पारित कानून के समान ही मान्य एवं प्रभावी होगा किंतु ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को –

(क) या तो विधायिका द्वारा अध्यादेश की स्वीकति के दिनांक से चार माह के अंदर पारित किया जाएगा या तत्पश्चात् अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; एवं

(ख) राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी समय निष्प्रभावी किया जा सकेगा।

भाग ८

संघ शासित प्रदेश

८.०१ **संघ शासित प्रदेशों के लिए विधान.-** (१) संसद् समय–समय पर संघ शासित प्रदेशों के लिए विधि–विधान बना सकेगी एवं साथ ही किन्हीं संस्थाओं, निकायों अथवा प्राधिकरणों की स्थापना तथा अधिकारों के प्रदान संबंधी प्रावधान भी कर सकेगी।

(२) संसद् दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इस संविधान के भाग ७ को पूर्णतः अथवा अंशतः किसी संघ शासित प्रदेश पर निर्दिष्ट या अनिर्दिष्ट काल के लिए प्रभावी अथवा निष्प्रभावी कर सकेगी।

भाग ९

स्थानीय निकाय

९.०१ **स्थानीय निकायों के लिए विधान.-** ग्राम पंचायतों, नगरीय प्रशासनों, जिला अथवा तहसील पंचायतों, जनजातीय क्षेत्रीय परिषदों सहित स्थानीय निकायों के लिए संसद् समय–समय पर विधि–विधान बना सकेगी एवं साथ ही राज्य विधायिकाओं को ऐसे विधि–विधान बनाने संबंधी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी।

भाग १०

वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद

१०.०१ **विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना.–** कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं

१०.०२ **भारत एवं राज्यों की संचित निधियाँ, आकस्मिक निधियाँ एवं लोक लेखा.-**(१) भारत सरकार की संचित निधियों , आकस्मिक निधियों तथा लोक लेखा से सम्बन्धित सभी विषयों पर नियमों एवं कार्यप्रणालियों का निर्धारण गुरु सभा करेगी।

(२) प्रत्येक राज्य की विद्वत सभा उस राज्य की सरकार की संचित निधियों, आकस्मिक निधियों एवं लोक लेखा से सम्बन्धित सभी विषयों पर नियमों एवं कार्यप्रणालियों का निर्धारण करेगी।

(३) उपरोक्त (२) में उल्लेखित किसी भी बात के बावजूद, गुरु सभा किसी एक अथवा अधिक राज्यों की विद्वत सभाओं को संचित निधियो, आकस्मिक निधियों एवं लोक लेखा से संबंधित किसी भी विषय पर परामर्श दे सकेगी तथा ऐसा परामर्श बंधनकारी होगा।

१०.०३ **संघ ,राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा करारोपण.**-(१) संघ ,राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित किये जाने वाले करों की प्रकति का निर्धारण गुरु सभा करेगी।

(२) करारोपण एवं कर संग्रहण से संबंधित नीतियों एवं नियमों का निर्धारण गुरु सभा करेगी।

(३) संघ के राजस्व में राज्यों का अंश (एवं विलोमतः) तथा प्रत्येक राज्य का अंश गुरु सभा निर्धारित करेगी अथवा इस हेतु निर्धारण व्यवस्था स्थापित करेगी।

(४) गुरु सभा संघ द्वारा किसी राज्य को दिए जाने वाले अनुदान का निर्धारण करेगी अथवा इस हेतु निर्धारण व्यवस्था की स्थापना करेगी।

(५) प्रत्येक राज्य के राजस्व में स्थानीय निकायों का अंश (एवं विलोमतः) तथा प्रत्येक स्थानीय निकाय का अंश ,उस राज्य की विद्वत सभा निर्धारित करेगी अथवा इस हेतु निर्धारण व्यवस्था स्थापित करेगी।

(६) प्रत्येक राज्य की विद्वत सभा ,उस राज्य द्वारा किसी स्थानीय निकाय को दिए जाने वाले अनुदान का निर्धारण करेगी अथवा इस हेतु निर्धारण व्यवस्था की स्थापना करेगी।

१०.०४ **भारत सरकार द्वारा ऋण ग्रहण.**– भारत की संचित निधि की प्रत्याभूति पर ऋणग्रहण एवं प्रत्याभूतियों का प्रदान, कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के अधीन होगा किंतु यह उन सीमाओं के अंतर्गत होगा जिनका निर्धारण गुरु सभा समय – समय पर कर सकेगी।

१०.०५ **राज्यों द्वारा ऋणग्रहण.**- किसी भी राज्य द्वारा कोई भी ऋणग्रहण गुरु सभा द्वारा निर्धारित तत्संबंधी नीतियों एवं नियमों के अधीन किया जाएगा।

१०.०६ **संघ एवं राज्यों की संपत्ति.**– संघ एवं राज्यों की संपत्ति के संबंध में कोई भी घोषणा करने अथवा विधि निर्माण करने के लिए संसद पूरी तरह अधिकत होगी । ऐसी संपत्ति भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित हो सकती है अथवा कही भी अन्यत्र स्थित हो सकती है।

१०.०७ **व्यापार करने आदि की शक्ति.**- गुरु सभा द्वारा निर्धारित नीतियों एवं संघ तथा राज्य के कानूनों, नियमों और कार्यप्रणालियों के अतंर्गत रहते हुए संघ तथा प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में व्यापार अथवा व्यवसाय करना ,संपत्ति का अर्जन, धारण, क्रय –विक्रय और निपटान तथा किसी उददेश्य के लिए संविदा करना सम्मिलित होगा।

१०.०८ **वाद.**- भारत सरकार के विरुद्ध एवं द्वारा, भारत सरकार के नाम से वाद लाया जा सकेगा तथा राज्य सरकार के विरुद्ध एवं द्वारा, राज्य सरकार के नाम से वाद लाया जा सकेगा।

१०.०६ व्यापार, वाणिज्य, यात्रा एवं परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता .- (१) संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अधीन रहते हुए, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य, यात्रा एवं परस्पर व्यवहार अबाध होगा।

(२) किसी भी राज्य की विधायिका अथवा विद्वत सभा ऐसे कोई कानून, नियम अथवा कार्यप्रणालियां नहीं बनाएगी जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य को व्यापार, वाणिज्य, यात्रा एवं परस्पर व्यवहार में कोई अवरोध अथवा प्रतिबंध उत्पन्न होता हो।

(३) उपरोक्त (१) में उल्लेखित किसी भी बात के बावजूद, रक्षा सभा व्यापार, वाणिज्य, यात्रा एवं परस्पर व्यवहार पर प्रतिबंध आदेशित कर सकेगी।

भाग ११

संघ एवं राज्यों के अंतर्गत सेवाएँ

११.०१ संघ अथवा राज्य के सेवाधीन व्यक्तियों के सेवा विषय :– संघ अथवा राज्य के सेवाधीन व्यक्तियों के सेवा संबंधी समस्त विषयों, जिनमें नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदमुक्ति इत्यादि सम्मिलित हैं, के संबंध में संसद् कानून बनाएगी तथा गुरु सभा नियमों एवं कार्यप्रणालियों का निर्धारण करेगी। संसद् किसी अथवा सभी राज्यों की विधायिका को भी उस राज्य के सेवाधीन व्यक्तियों के संबंध में कुछ अथवा समस्त विषयों पर विधि निर्माण के लिए अधिकत कर सकेगी।

११.०२ रक्षा सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के सेवा विषय :– अनुच्छेद ११.०१ में कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, रक्षा सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के सेवा विषय केवल गुरु सभा द्वारा तत्संबंधी निर्धारित नीतियों एवं रक्षा सभा द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन ही होंगें।

११.०३ वर्गीकत श्रेणी व्यय के अधीन सेवारत व्यक्तियों के सेवा विषय :– अनुच्छेद ११.०१ में कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, वर्गीकत श्रेणी व्यय के अधीन सेवारत व्यक्तियों के सेवा विषय केवल गुरु सभा द्वारा तत्संबंधी निर्धारित नीतियों, नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अधीन ही होंगें।

११.०४ अखिल भारतीय सेवाएँ :- संसद् कभी भी किसी भी प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अथवा विघटन कर सकेगी । ऐसी सेवाएं संघ तथा राज्यों दोनों हेतु सेवानिष्ठ होंगी किन्तु ऐसी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को वेतन एवं परिलब्धियों के अतिरिक्त कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा।

११.०५ प्रारक्षित सैनिक :– संसद् द्वारा बनाये किसी भी कानून के बावजूद, किंतु गुरु सभा द्वारा निर्धारित नीतियों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति समय – समय पर यह घोषणा कर सकेगा कि संध एवं /अथवा किसी अथवा सभी राज्यों एवं / अथवा किसी नियोक्ता की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों का निर्दिष्ट प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों का होगा जो कि प्रारक्षित सैनिक के रूप में पंजीकत हैं तथा रक्षा कार्यों एवं कालबद्ध प्रशिक्षण के संबंध में रक्षा सभा द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन हैं।

(२) प्रारक्षित सैनिकों के चयन, अनुशासन तथा कार्यमुक्त करने की कार्यप्रणाली का निर्धारण रक्षा सभा करेगी। किंतु, सुरक्षा बलों से संबंधित कार्यो एवं प्रशिक्षण के अतिरिक्त उनकी सेवाओं संबंधी सभी विषयों के संबंध में वे अनुच्छेद ११.०१ अथवा ११.०२ अथवा ११.०४ अथवा कर्मचारियों पर लागू होने वाले अन्य किन्हीं भी नियमों के अधीन होंगें।

(३) यदि किसी प्रारक्षित सैनिक, जिसका किसी सेवा में चयन प्रारक्षित सैनिक की श्रेणी में हुआ हो, को कालांतर में अनुशासनहीनता के कारण प्रारक्षित सैनिक के कार्य से मुक्त किया जाता है, तो वह जिस सेवा में चयनित था, उससे सेवामुक्त हो जाएगा । यद्यपि उस व्यक्ति की अनुशासनहीनता सैन्य सेवा से संबंधित हैं एवं असैन्य सेवा से असंबंधित है, तो भी उस व्यक्ति की सेवामुक्ति प्रभावी होगी।

भाग १२

न्यायाधिकरण, सैन्य न्यायालय, एवं स्थानीय निकाय न्यायालय

१२.०१ संघ विषयों से संबंधित न्यायाधिकरण .– संघ के कर्मचारियों की सेवा, किसी अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत व्यक्तिओं, भारत सरकार द्वारा आरोपित कोई कर अथवा संसद द्वारा पारित किसी कानून से उत्पन्न विषयों संबंधी विवादों एवं परिवादों पर न्यायनिर्णय एवं सुनवाई हेतु संसद् दो तिहाई बहुमत से एक अथवा अधिक न्यायाधिकरणों का गठन अथवा विघटन कर सकेगी जिनकी पीठ संसद द्वारा निर्धारित एक अथवा अधिक स्थानों पर होगी।

१२.०२ राज्य विषयों से संबंधित न्यायाधिकरण .– राज्य के कर्मचारियों की सेवा, राज्य सरकार द्वारा आरोपित कोई कर अथवा विधायिका द्वारा पारित किसी कानून से उत्पन्न विषयों संबंधी विवादों एवं परिवादों पर न्यायनिर्णय एवं सुनवाई हेतु विधायिका दो तिहाई बहुमत से एक अथवा अधिक न्यायाधिकरणों का गठन अथवा विघटन कर सकेगी जिनकी पीठ विधायिका द्वारा निर्धारित एक अथवा अधिक स्थानों पर होगी।

१२.०३ सैन्य न्यायालय .– रक्षाकर्मियों की सेवा विषयों, रक्षाकर्मियों एवं प्रारक्षित सैनिकों की अनुशासनहीनता तथा ऐसे अपराधों जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा हैं, संबंधी विवादों एवं परिवादों पर न्यायनिर्णय एवं सुनवाई हेतु रक्षा सभा आवश्यक पदानुक्रमात्मक एवं भौगोलिक संरचना के अनुसार सैन्य न्यायालयों तथा पुनरावेदनीय सैन्य न्यायालयों का गठन अथवा विघटन कर सकेगी।

१२.०४ स्थानीय निकाय न्यायालय.– स्थानीय निकायों, विधायिका द्वारा पारित किसी कानून अथवा स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित कोई कर या नियम से उत्पन्न विषयों संबंधी विवादों एवं परिवादों पर न्यायनिर्णय एवं सुनवाई हेतु विधायिका दो तिहाई बहुमत से स्थानीय निकाय न्यायालयों के गठन अथवा विघटन के लिए प्राधिकत कर सकेगी जिनकी पीठ विधायिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर होगी।

भाग १३

चुनाव

१३.०१ धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए न तो अपात्र होगा और न ही पात्र होने का दावा करेगा. – लोक सभा अथवा राज्य की जन सभा के चुनाव हेतु प्रत्येक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र की एक सामान्य निर्वाचक नामावली होगी तथा गुरु सभा अथवा राज्य की विद्वत सभा के चुनाव हेतु एक विशेष निर्वाचक नामावली होगी। कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी आधार पर उक्त किसी भी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए न तो अपात्र होगा और न ही पात्र होने का दावा करेगा।

१३.०२ वयस्क मताधिकार.– लोक सभा एवं प्रत्येक राज्य की जनसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली पर आधारित होंगें अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है एवं जिसने विधि द्वारा तत्संबंधी निर्धारित दिनांक को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है एवं जो इस संविधान अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार अयोग्य नहीं है, उसे उक्त चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार होंगा।

भाग १४

कुछ वर्गो से सम्बन्धित विशेष प्रावधान

१४.०१ **समाज के कमजोर वर्गो का उत्थान** .– (१) इस संविधान में कहीं भी कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, संसद् समय – समय पर विधि द्वारा, समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान हेतु किन्हीं भी उपायों का प्रावधान कर सकेगी। उक्त उपायों में अन्य उपायों के साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित किए जा सकेगें – लोकसभा, किसी राज्य की जन सभा तथा किसी राज्य अथवा क्षेत्र के स्थानीय निकायों में आरक्षण; संघ अथवा राज्यों की सेवाओं में आरक्षण; उक्त वर्गो के उत्थान एवं कल्याण के लिए आयोगों तथा कार्यालयों का गठन।

(२) उपरोक्त (१) मे उल्लेखित किसी भी बात के बावजूद, गुरु सभा, रक्षा सभा, सुरक्षा बलों, प्रारक्षित सैनिकों तथा संघ एवं राज्यों के वर्गीकत श्रेंणी व्यय के अधीन व्यक्तियों (लोक सभा एवं जन सभा सदस्यों को छोड़) के संबंध में खंड (१) के अंर्तगत आरोपित आरक्षण अथवा अन्य कोई उपाय लागू नहीं होंगें।

(३) उपरोक्त (१) के अंतर्गत निर्धारित कोई भी आरक्षण, अनुच्छेद ११.०५ के अंतर्गत घोषित प्रारक्षित सैनिकों हेतु अंश को अलग रखने के बाद ही लागू होगा।

भाग १५

राजभाषा

१५.०१ **संघ की राजभाषा.**– (१) संघ की समस्त संस्थाओं की राजभाषा हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी।

(२) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंको का रूप भारतीय अंको का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा।

(३) उपरोक्त (१) एवं (२) में उल्लेखित किसी भी बात के बावजूद, इस संविधान के प्रारंभ में तथा जब तक संसद् अन्यथा निर्धारित नहीं करती, अंग्रेजी तथा अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग उसी प्रकार होता रहेगा जैसा इस संविधान के लागू होने के पूर्व होता था।

(४) संसद् अंग्रेजी के प्रयोग पर नियंत्रण, देवनागरी स्वरूप के अंको के प्रयोग के लिए प्रावधान तथा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा सकेगी।

१५.०२ राज्य की राजभाषा.– (१) प्रत्येक राज्य की विधायिका राज्य के संस्थानों द्वारा प्रयोग हेतु, एक अथवा अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में विधि द्वारा अपनाएगी।

(२) उपरोक्त (१) में उल्लेखित किसी भी बात के बावजूद, इस संविधान के प्रारंभ में तथा जब राज्य की विधायिका अन्यथा निर्णय नहीं लेती हैं, तब तक प्रत्येक राज्य के भाषाओं का प्रयोग उसी प्रकार होता रहेगा जैसा इस संविधान के लागू होने के पूर्व होता था।

१५.०३ राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान.- भारत सरकार हिंदी एवं अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं तथा विलोमतः; अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं से हिन्दी ; तथा एक भारतीय भाषा से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान की सीपना करेगी।

१५.०४ एक राज्य एवं अन्य राज्य अथवा एक राज्य एवं संघ के मध्य सम्प्रेषण की भाषा.- (१) एक राज्य एवं अन्य राज्य अथवा एक राज्य एवं संघ के मध्य सम्प्रेषण की भाषा या तो हिन्दी होगी या पत्रादि भेजने वाले राज्य की राजभाषा होगी या जब तक संसद् अन्यथा निर्णय नहीं लेती, अंग्रेजी होगी।

(२) यदि एक राज्य द्वारा अन्य राज्य अथवा संघ को भेजा पत्रादि प्रविती राज्य अथवा संघ की भाषा से भिन्न भाषा में हैं , तो उक्त पत्रादि को राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान के माध्यम से भेजा जा सकेगा, जो मूल के साथ अनुवाद संलग्न कर प्रेषित करेगें।

(३) यदि किसी राज्य के अधिकारीवर्ग को संघ की राजभाषा समझने में कोई कठिनाई है तो उक्त राज्य संघ से प्राप्त पत्रादि के अनुवाद के लिए राज्य अनुवाद संस्थान की स्थापना करेगा।

भाग १६

आपातकालीन प्रावधान

१६.०१ आपातकाल की उद्‌घोषणा.- (१) यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं गुरु सभा अथवा रक्षा सभा में से किसी एक का दो तिहाई बहुमत इस मत के हैं कि पूरे देश में अथवा देश के किसी भाग में ऐसी परिस्थितियाँ विद्‌यमान हैं कि आपातकाल की उद्‌घोषणा आवश्यक है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्‌घोषणा करेगा या पूर्व में की गयी उद्‌घोषणा को संशोधित करने के लिए उद्‌घोषणा करेगा तथा उक्त उद्‌घोषणा सम्पूर्ण भारत में अथवा उद्‌घोषणा में उल्लेखित राज्यक्षेत्र में प्रभावी होगी।

(२) खंड (१) के अंतर्गत घोषित उद्‌घोषणा को उपराष्ट्रपति की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की गयी उद्‌घोषणा से रदद् किया जा सकेगा।

१६.०२ आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव .- (१) इस संविधान मे कहीं भी कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, जब भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी है तब–

(क) संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति रक्षा सभा में निहित होगी एवं रक्षा सभा उक्त शक्ति का प्रयोग आपातकालीन प्रधानमंत्री के नेतत्व वाली आपातकालीन मंत्रीपरिषद् के माध्यम से करेगी।

(ख) रक्षा सभा किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, आपातकालीन मंत्रीपरिषद् के एक सदस्य के नियंत्रण में रखते हुए, कोई भी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी।

(ग) आपातकालीन प्रधानमंत्री एवं आपातकालीन मंत्रीपरिषद् की नियुक्ति रक्षा सभा द्वारा की जाएगी एवं वे आपातकाल की उद्घोषणा रदद् होने तक पदासीन रहेंगें। नियुक्ति के रक्षा सभा के अधिकार में पदच्युत करने का अधिकार सम्मिलित होगा।

(घ) कानून बनाने के लिए किसी विधेयक अथवा व्यय विधेयक का प्रथम प्रस्तुतीकरण रक्षा सभा अथवा गुरु सभा मे हो सकेगा एवं उक्त विधेयक विधि के रूप में तभी प्रभावी होगा जब उसे गुरु सभा, रक्षा सभा तथा लोक सभा में से किन्हीं दो सभाओं द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा स्वीकत किया जाता हैं।

(२) इस संविधान में कहीं भी कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, जब भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी है तब –

(क) उक्त राज्यक्षेत्र के संबंध में, संघ तथा राज्य (ओं), जहां उक्त राज्यक्षेत्र स्थित हैं की कार्यपालिका शक्ति रक्षा सभा में निहित होगी एवं रक्षा सभा उक्त शक्ति का प्रयोग आपातकालीन परिषद् के माध्यम से करेगी।

(ख) उक्त राज्यक्षेत्र के संबंध में, रक्षा सभा किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, आपातकालीन परिषद् के एक सदस्य के नियंत्रण में रखते हुए, कोई भी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी।

(ग) आपातकालीन परिषद् की नियुक्ति रक्षा सभा द्वारा की जाएगी एवं वह आपातकाल की उद्घोषणा रदद् होने तक पदासीन रहेगी। नियुक्ति के रक्षा सभा के अधिकार में पदच्युत करने का अधिकार सम्मिलित होगा।

१६.०३ संवैधानिक एवं वैधिक अधिकारों के प्रवर्तन का स्थगन.- (१) जहाँ आपातकालीन उद्घोषणा प्रभावी है, रक्षा सभा तत्संबंधी यह घोषणा कर सकेगी कि घोषणा में उल्लेखित कोई भी संवैधानिक एवं वैधिक अधिकार उस अवधि में स्थगित रहेंगें जिस अवधि में आपातकालीन उद्घोषणा प्रभावी है अथवा उससे कम ऐसी अवधि में जिस का उल्लेख रक्षा सभा कर सकेगी।

(२) खंड (१) के अंतर्गत कोई भी घोषणा जिस राज्यक्षेत्र में आपातकालीन उद्घोषणा प्रभावी है उसके सम्पूर्ण क्षेत्र में अथवा आंशिक क्षेत्र में प्रभावी हो सकेगी।

भाग १७

विविध

१७.०१ राजधानी.- (१) भारत की राजधानी दिल्ली में अथवा संसद् द्वारा दो–तिहाई बहुमत से निर्धारित स्थान में होगी।

(२) लोक सभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद् का स्थायी मुख्यालय राजधानी में होगा।

१७.०२ गुरु सभा एवं उपराष्ट्रपति की पीठ.- (१) गुरु सभा एवं उपराष्ट्रपति की पीठ भारत के दक्षिणी भाग के ऐसे स्थान में होगी, जिसका निर्धारण गुरु सभा करेगी।

(२) गुरु सभा की पीठ एक ऐसा स्वतंत्र परिसर होगा जो पुस्तकालय, शोध सुविधाऐं, आवासीय स्थान इत्यादि सहित समस्त आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं से परिपूर्ण होगा।

१७.०३ रक्षा सभा की पीठ.- रक्षा सभा राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित स्थान पर मिलेगी।

१७.०४ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल को संरक्षण.- (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा किसी भी राज्यपाल के द्वारा उसके पद् की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के पालन एवं प्रयोग के संबंध में अथवा तदानुसार अथवा तदार्थ किए किसी कार्य के संबंध में वह किसी भी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा।

(२) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा किसी भी राज्यपाल के विरूद्ध उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

(३) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा किसी भी राज्यपाल के विरूद्ध उसकी पदावधि में किसी न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी अथवा बन्दीकरण के लिए आदेशिका जारी नहीं की जाएगी।

१७.०५ बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों के लिए विशेष प्रावधान.- इस संविधान में कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, संसद् कुछ अथवा सभी बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों के लिए विशेष कानून बना सकेगी अथवा किसी विद्यमान कानून को निष्प्रभावी कर सकेगी।

१७.०६ कतिपय राज्यों अथवा क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान.- इस संविधान में कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, संसद् कतिपय राज्यों अथवा क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान अथवा अधिनियम बना सकेगी। ऐसा कोई भी प्रावधान अथवा अधिनियम संसद् के दोनों सदनों द्वारा कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा एवं प्रत्येक संसद् सदस्य ऐसे किसी विषय पर अपनी अंतर्आत्मानुसार मतदान करेंगें।

१७.०७ **अन्य देशों के साथ संधि, अनुबंध एवं व्यवस्थाएँ.-** प्रधानमंत्री अथवा मंत्रीपरिषद् किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश अथवा देशों अथवा देशसमूह से संधि, अनुबंध एवं व्यवस्था संबंधी चर्चा, वार्ता एवं अन्तिम निर्धारीकरण के लिए प्राधिकत कर सकेंगें। किन्तु ऐसी कोई भी संधि, अनुबंध अथवा व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जब संसद् और रक्षा सभा द्वारा भी उसका अनुमोदन कर दिया जाए।

१७.०८ **विद्यमान कानूनों का निरन्तर प्रभावी रहना.-** यदि किसी विधि के संबंध में गुरु सभा अथवा संसद् अन्यथा निर्णय नहीं लेती है तो इस संविधान के प्रारंभ के पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में प्रभावी समस्त कानून इस संविधान के दिनांक से दस वर्ष की अवधि तक अथवा सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित किए जाने तक, जो भी पूर्व हो, प्रभावी रहेंगें।

१७.०६ **अवशिष्ट विषय.-** संसद् को ऐसे किसी भी विषय के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति होगी जिसका इस संविधान में प्रतिपादन नहीं किया गया।